

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-325

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाएं

*325. श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित विद्युत की स्रोत-वार मात्रा कितनी है;
- (ख) विचार की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाए गए घरेलू और आयातित कोयले की मात्रा कितनी थी;
- (घ) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आयातित और घरेलू कोयले की मात्रा का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) गृह स्तर पर विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, देश में 261 ताप विद्युत तथा 177 जल विद्युत परियोजनाएँ हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का स्रोत-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : इस समय, 73728.4 मेगावाट क्षमता वाली 143 ताप विद्युत यूनिटें पाइपलाइन में हैं तथा इन विद्युत संयंत्रों से 59.17% के राष्ट्रीय औसत संयंत्र भार कारक (अप्रैल से अक्टूबर, 2016 तक) पर एक वर्ष में उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा लगभग 387 बीयू होगी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इस समय, 13,182 मेगावाट क्षमता वाली 44 जल विद्युत यूनिटें पाइपलाइन में हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तथापि, इन 44 जल विद्युत यूनिटों की ऊर्जा संभाव्यता, डिजाइन ऊर्जा के अनुसार 49.9 बीयू है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) : विद्युत संयंत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, विद्युत उत्पादन के लिए खपत की गई घरेलू तथा आयातित कोयले की मात्रा **अनुबंध-IV** में दी गई है।

(घ) : उत्पादन लक्ष्य पर आधारित घरेलू और आयातित कोयले की मात्रा का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है। आकलन के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने हेतु, आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए 48 एमटी आयातित कोयले तथा अन्य विद्युत संयंत्रों के लिए 552 एमटी घरेलू कोयले की आवश्यकता होगी।

(ङ) : घरेलू स्तर सहित देश में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 88,928.2 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की गई तथा 30 सितम्बर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21,128 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि हासिल कर ली गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।
- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारिषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारिषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी कर दी गई है।

- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्टैंडर्ड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना शुरु की है।

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

श्रेणी	ईंधन	उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयू)			
		2016-17 (अक्टूबर, 16 तक)*	2015-16	2014-15	2013-14
हाइड्रो		93215.45	126621	134251.4	140445.4
थर्मल	कोयला	518947.3	862015.3	800333.9	713847.1
	डीजल	169.76	405.92	1407.42	1868.17
	हाई स्पीड डीजल	0	0	0	0
	लिग्नाइट	19897.78	34244.44	35503.68	32239.69
	बहु ईंधन	0	0	0	0
	नापथा	21.28	151.47	989.29	1562.91
	प्राकृतिक गैस	29812.4	46970.62	40085.76	42959.27
	कुल	568848.6	943787.7	878320	792477.1

* वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी:

1. उत्पादन 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के संयंत्रों (पारंपरिक स्रोतों अर्थात् हाइड्रो, थर्मल एवं न्यूक्लियर) से ही।

अनुबंध-II

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र			
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	250
			यू-3	250
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	195
4	बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-2	250
			यू-3	250
			यू-4	250
5	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
6	छत्तीसगढ़	लारा टीपीएस	यू-1	800
			यू-2	800
7	झारखण्ड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
8	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
9	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी चरण-II	यू-4	660
10	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
11	मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
12	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
13	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
14	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-I	यू-1	800
			यू-2	800
15	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500
			यू-2	500
16	उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.- IV	यू-6	500
17	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
18	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
19	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
कुल केंद्रीय क्षेत्र				25605
राज्य क्षेत्र				
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800
3	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-III	यू-6	600
4	असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	62.25
			एसटी	36.15
5	बिहार	बरौनी टीपीएस एस्टे.	यू-8	250
			यू-9	250
6	गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-2	250
7	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800
8	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-2	800
9	कर्नाटक	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी	यू-1	370
10	महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-10	660
11	मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी स्टे.-II	यू-3	660
			यू-4	660
12	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	यू-3	660
			यू-4	660
13	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660
			यू-6	660
14	राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस	यू-7	660
			यू-8	660
15	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII	यू-1	800
16	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
17	तेलंगाना	सिंगारैनी टीपीपी	यू-2	600
18	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)	यू-1	660
19	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
20	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800
21	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800
			यू-2	800
22	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660
23	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी स्टे.-II	यू-4	500
कुल राज्य क्षेत्र				18978.4
निजी क्षेत्र				
1	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660
			यू-2	660
2	आंध्र प्रदेश	एसजीपीएल टीपीपी	यू-2	660
3	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350
			यू-4	350

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
4	बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीएस	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
5	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी	यू-3	600
			यू-4	600
			यू-5	600
			यू-6	600
6	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300
			यू-2	300
			यू-3	300
			यू-4	300
7	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660
			यू-4	660
8	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600
			यू-2	600
9	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	यू-2	300
10	छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-3	360
			यू-4	360
11	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135
12	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600
13	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270
			यू-2	270
14	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270
			यू-4	270
15	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600
			यू-2	600
16	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600
17	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
18	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
19	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -I	यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
20	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -II	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
21	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300
			यू-2	300
22	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600
23	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
24	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45
25	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी	यू-2	350
26	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350
			यू-2	350
			यू-3	350
27	ओडिशा	लेंको बबंध टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
28	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525
			यू-2	525
29	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660
30	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525
31	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी सीमेन्स	यू-3	660
32	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी	यू-1	150
			यू-2	150
			यू-3	150
	कुल निजी क्षेत्र			29145
	सकल योग			73728.4

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - क्षेत्र-वार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र		
1	किशनगंगा 3x110= 330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	330
2	पारबती स्टे.-II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	800
3	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	520
4	टिहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	1000
5	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	171
6	विष्णुगाड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	444
7	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	2000
8	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	600
9	पारे 2x55= 110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	110
10	तुरियल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	60
11	रम्माम-III 3x40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	120
			6155
	राज्य क्षेत्र		
12	शाहपुरकांडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	206
13	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	100
14	कशांग-II व III 1x65 + 1x65= 130 मेगावाट	यू- 2	65
15	सेंज 2X50=100 मेगावाट	यू- 1 व यू- 2	100
16	स्वारा कुड्डू 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	111
17	शोंगटोंग करछम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	450
18	व्यासी 2X60=120 मेगावाट	यू- 1 व यू- 2	120
19	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	80
20	नागार्जुन सागर टीआर 2x25= 50 मेगावाट	यू-1 व यू-2	50
21	पोलावरम 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	960
22	पुलीचिंताला 4x30= 120 मेगावाट	यू-2 से यू-4	90
23	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	60
24	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	40
25	न्यू उमतरू 2x20= 40 मेगावाट	यू-1 व यू-2	40
26	तीस्ता-III 6x200= 1200 मेगावाट	यू-1 से यू-6	1200
			3672
	निजी क्षेत्र		
27	रत्ने 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	850
28	सोरांग 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 व यू-2	100
29	टंगनु रोमई-I 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	44

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
30	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	180
31	चंजु-1 3x12= 36 मेगावाट	यू-1 से यू-3	36
32	टिडोंग-1 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-2	100
33	फाटा ब्यूंग 2x38= 76 मेगावाट	यू-1 से यू-2	76
34	सिंगोली भटवारी 3x33= 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	99
35	महेश्वर 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	400
36	तीस्ता-VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	500
37	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	120
38	भास्मे 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	51
39	ताशिडिंग 2x48.5= 97 मेगावाट	यू-1 से यू-2	97
40	दिक्चू 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	96
41	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	66
42	रोंगनीचू 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	96
43	पन्न 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	300
44	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट	यू-1 से यू-2	144
			3355
		कुल	13182

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, विद्युत उत्पादन के लिए खपत की गई घरेलू और आयातित कोयले की मात्रा

(आंकड़े मिलियन टन (एमटी) में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अप्रैल-अक्तूबर)
घरेलू कोयला	409.4	439.2	465.3	290.2
आयातित कोयला	80.0	91.2	80.6	40.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3721

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

अतिशेष विद्युत का वितरण

3721. श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार के 11 विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदान की गई विद्युत में से 2,255 मेगावाट अतिशेष विद्युत का समर्पण किए जाने के प्रस्ताव के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने दादरी और झज्जर विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने दिनांक 06 जुलाई, 2015 के पत्र में 11 विभिन्न विद्युत केंद्रों की 2,255 मेगावाट विद्युत के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध किया था।

तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार और दक्षिणी क्षेत्र के लिए अंतर्क्षेत्रीय पारेषण कॉरिडोर की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल), झज्जर से 374 मेगावाट 31.03.2016 तक के लिए आवंटित की गई थी। एपीसीपीएल, झज्जर से और 100 मेगावाट दिनांक 01.04.2016 से 31.05.2016 के दौरान आवंटित की गई थी।

दादरी और एपीसीपीएल, झज्जर से विद्युत प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार का फिलहाल कोई अनुरोध नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3726

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बांग्लादेश को विद्युत

3726. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बांग्लादेश ने अपनी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत से और अधिक विद्युत की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांग्लादेश द्वारा भारत से खरीदी जाने वाली विद्युत की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में बांग्लादेश को कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जाती है; और
- (घ) बांग्लादेश की विद्युत खरीद की वर्तमान प्रभारित औसत शुल्क दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत एवं बांग्लादेश के बीच समझौता-जापन (एमओयू) के अंतर्गत बांग्लादेश को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। बांग्लादेश ने अपने पूर्वी हिस्से की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 60 मेगावाट विद्युत की मांग की है।

(ग) : चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर, 2016) के दौरान, बांग्लादेश को लगभग 2991 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गई।

(घ) : केंद्रीय उत्पादक स्टेशन से बांग्लादेश को दी जा रही 250 मेगावाट विद्युत का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार है। शेष विद्युत का भारत औसत प्रशुल्क लगभग 5.35 रुपये प्रति यूनिट है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश, सीईआरसी विनियमों के अनुसार पारेषण प्रभारों तथा अन्य ग्रिड संबंधी प्रचालन प्रभारों का भुगतान भी करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3731

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

3731. श्रीमती सकुंतला लागुरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर ओडिशा राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ओडिशा को विद्युत की वार्षिक आपूर्ति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) राज्य में ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया है तथा इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित विगत संघ सरकार द्वारा देश में चालू की गई केंद्रीय क्षेत्र की ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) : भूटान से आपूर्ति सहित ओडिशा राज्य को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) का वर्तमान आवंटन नीचे दिया गया है।

(मेगावाट में)

क. निश्चित आवंटन	क्षमता
(i) निश्चित हिस्सा	1228
(ii) समर्पित केंद्रों से हिस्सा	460
ओडिशा के लिए कुल निश्चित हिस्सा	1688
ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र सीजीएस की अनावंटित विद्युत से आवंटन	62
सीजीएस से ओडिशा को कुल आवंटन	1750

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में कोई केंद्रीय क्षेत्र ताप, जल विद्युत परियोजना चालू नहीं की गई है। तथापि, एनटीपीसी लिमिटेड की एक केंद्रीय क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना अर्थात् दर्लीपल्ली एसटीपीपी स्टेज-I (2x800 मेगावाट) वर्तमान में ओडिशा राज्य में निर्माणाधीन है जिसका 2018-19 में चालू किए जाने का संभावित कार्यक्रम है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3731 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू की गई केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं की ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	जोड़ी गई वास्तविक क्षमता (मेगावाट)
2013-14				
1	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	4	660
2	तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी-II	3	500
3	उत्तर प्रदेश	रिहंद एसटीपीएस-III	6	500
2014-15				
4	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	5	660
5	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सटें.	3	195
6	तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	2	250
7	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	1	500
8	त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मॉड्यूल-2	363.3
9	त्रिपुरा	मोनार्चक गैस पावर प्रोजेक्ट	जीटी	65.4
10	त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी	एसटी-2	25.5
11	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	1	600
2015-16				
12	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	1	250
13	मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-V	13	500
14	त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	एसटी	35.6
15	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	2	500
16	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	2	600
17	झारखंड	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें.	1	500
18	बिहार	नबी नगर टीपीपी	1	250
19	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	3	660
2016-17				
20	त्रिपुरा	अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना	एसटी-1	25.5

एसटी : स्टीम टरबाइन, जीटी : गैस टरबाइन

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3731 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं (केंद्रीय क्षेत्र) की सूची

2013-14 के दौरान चालू की गई				
क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता मेगावाट
1	पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम-III(4x33)	4	33
2	जम्मू व कश्मीर	उरी-II(4x60)	1,2,3,4	240
3	जम्मू व कश्मीर	निम्मो बाजगो (3x15)	1,2,3	45
4	हिमाचल प्रदेश	पारबती-III (4x130)	1,2,3	390
5	हिमाचल प्रदेश	रामपुर (6x68.67)	1,2,5	206
2014-15 के दौरान चालू की गई				
6	हिमाचल प्रदेश	पारबती-III (4x130)	4	130
7	हिमाचल प्रदेश	रामपुर (6x68.67)	3,4,6	206
8	हिमाचल प्रदेश	कोल डैम (4x200)	1,2	400
2015-16 के दौरान चालू की गई				
9	हिमाचल प्रदेश	कोल डैम (4x200)	3,4	400
10	पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम-IV (4x40)	1,2	80
2016-17 के दौरान चालू की गई				
11	पश्चिम बंगाल	तीस्ता लो डैम-IV (4x40)	3,4	80

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3734

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

सार्क में ऊर्जा सहयोग

3734. डॉ. शशि थरूर:

एडवोकेट चिन्तामन नावाशा वांगा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के साथ विद्युत व्यापार संबंधी क्षेत्रीय सहयोग जिससे सीमापार विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से विद्युत के निर्यात तथा आयात के उपाय तलाश रही है;
- (ग) यदि हां, तो देश-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ने विद्यमान पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए हैं ताकि सीमापार ऊर्जा व्यापार बेहतर हो सके और देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो सके; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत व्यापार संबंधी क्षेत्रीय सहयोग के लिए, भारत ने बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तथा नेपाल के साथ समझौता/विद्युत व्यापार करार जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा सहयोग के लिए भारत सहित सभी सार्क देशों द्वारा सार्क फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। चालू वर्ष 2016-17 (नवंबर, 2016 तक) के दौरान पड़ोसी देशों को विद्युत के आयात/निर्यात का देश-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : सीमा पार ऊर्जा व्यापार को सक्षम बनाने तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने 05.12.2016 को विद्युत के सीमा पार व्यापार संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की भी योजना बना रहा है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भावी पारेषण लिंकों का निर्णय भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच संयुक्त संचालन समिति/संयुक्त कार्य दल में किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3734 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 (नवंबर, 2016 तक) के दौरान पड़ोसी देशों के साथ विद्युत का निर्यात/आयात

	ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
बांग्लादेश को निर्यात	2911
नेपाल को निर्यात	1163
भूटान से आयात	5261

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3739

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

मांग और आपूर्ति के बीच अंतर

3739. श्री बी. श्रीरामुलु:

श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल विद्युत क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग द्वारा देश की विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटा जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार का क्या रुख है;
- (ख) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को प्राकृतिक तथा मानवजनित दोनों द्वारा सृजित अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं की परिचालन समयावधि में विस्तार किया गया है और तदनुसार उनकी स्थिति का उन्नयन किया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत नीति तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां। ऊर्जा के संबंध में वर्तमान वर्ष 2016-17 (अप्रैल-अक्टूबर, 2016) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर केवल 0.7% है। इस सीमांत मांग-आपूर्ति अंतर का एक प्रमुख कारण जल विद्युत क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग है। जल विद्युत व्यस्ततम घंटों में जल उपलब्धता, सिंचाई आवश्यकताओं आदि पर विचार करते हुए अधिकतम प्रयोग किए जाते रहे हैं।

(ख) और (ग) : जी हां, जल विद्युत परियोजनाएं नई प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के गत्यावरोधों का सामना कर रही हैं। जल विद्युत परियोजनाओं में पाये गए प्रमुख प्राकृतिक गत्यावरोधों, प्राकृतिक आपदाएं, भौगोलिक अनिश्चिताएं, दुर्लभ भू-भाग और कमजोर पहुंच आदि है। बड़े मानव निर्मित गत्यावरोध पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दे निधि संबंधी बांधाएं आदि सहित भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं स्थानीय आंदोलन प्रतिरोध हैं।

(घ) : हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं की प्रचालनात्मक समय अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) : देश में जल विद्युत संभाव्यता को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अर्थात राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत दीर्घावधि वित्तियोजन के लिए ऋण का प्रावधान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मानकों की तुलना में अवमूल्यन की न्यूनतम दर प्रभारित करने का विकल्प नवीकरणीय क्रय दायित्व आदि से जल विद्युत को छोड़कर के संशोधित प्रशुल्क नीति में 15.08.2022 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत अधिक प्रशुल्क प्रदान करना ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3746

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा नीति

3746. डॉ. बूरा नरसैय्या गौड:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित ऊर्जा नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) नई नीति किस सीमा तक वर्तमान नीति से अलग है;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय को इस नीति पर कोई आपत्तियां हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नीती आयोग ने घरेलू कोयले की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के लाभ और हानियों सहित इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नेशनल एनर्जी पॉलिसी (एनईपी) का लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की स्पष्ट घोषणाओं को पूरा करने के लिए आगे का रास्ता तैयार करना है। एनईपी के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं :

लक्ष्य (i) सभी जनगणना गांवों के वर्ष 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने की योजना है तथा वर्ष 2022 तक 24X7 घंटे विद्युत का व्यापक विद्युतीकरण हासिल किया जाना है। (ii) इंटेडेड नेशनल डिटरमाइंड कौट्रिब्यूशन (आईएनडीसी) के अनुसार 33% तक की प्रति यूनिट जीडीपी को वर्ष 2030 तक 35% तक कम करना (iii) वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना तथा (iv) वर्ष 2030 तक विद्युत मिश्रण में 40% से अधिक तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

उद्देश्य (i) सस्ती कीमतों पर विद्युत की पहुंच (ii) बेहतर ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता (iii) अधिक स्थिरता तथा (iv) आर्थिक विकास।

(ख) : एनईपी पूर्व बहुप्रयोजन ऊर्जा नीति-एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) की उपलब्धियों पर आधारित होती है, तथा ऊर्जा क्षेत्र में उभरते विकास की पुनः परिभाषित भूमिका के अनुरूप नया ऐजेंडा निर्धारित करती है। नई ड्राफ्ट नीति कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में प्रगति, जलवायु परिवर्तन की अत्यधिक चिंता तथा सरकार द्वारा अपनाया गया नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ऐजेंडे से संबंधित मामलों में पूर्व नीति से भिन्न होती है।

(ग) : इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, जिनके ऊपर अपना क्षेत्रीय ऐजेंडा तैयार करने का प्रमुख दायित्व होता है, ऊर्जा का संचालन किया जाता है, उनके लिए इन स्रोतों के बीच समन्वय के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना अपेक्षित होता है। नीति आयोग, कोयला मंत्रालय सहित विभिन्न पणधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार कर रहा है।

(घ) और (ङ) : नीति आयोग का यह विचार है कि प्रस्तावित नीति के लिए घरेलू कोयला कीमतों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ करना आवश्यक नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3747

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत योजना

3747. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) अगले पांच वर्षों के लिए किसी विद्युत योजना पर कार्य कर रहा है जो कि देश में विद्युत की मांग का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा;
- (ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;
- (ग) 12वीं योजना अवधि के लिए विद्युत की अनुमानित क्षमता वृद्धि और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) ग्रिड स्थिरता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए जो ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव के मानकों के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है; और
- (ङ) क्या यह सही है कि 12वीं योजना के अनुसार 40% विद्युत परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, क्षेत्रों और देश की बिजली की मांग का अनुमान लगाने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) आवधिक रूप से इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण करता है। 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) की रिपोर्ट, जोकि ईपीएस के क्रम में सबसे नवीनतम है, दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी। अगले 5 वर्षों और उसके बाद के लिए देश में विद्युत की मांग का पुनःमूल्यांकन करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) का गठन किया गया है।

(ख) : राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय विद्युत योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान।
- (ii) उत्पादन एवं पारेषण की अर्थव्यवस्था, प्रणाली में हानियां, भार केंद्र मांगें, ग्रिड स्थायित्व, आपूर्ति की सुरक्षा, वोल्टेज प्रोफाइल आदि सहित विद्युत की गुणवत्ता तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन एवं पारेषण में क्षमता अभिवृद्धि हेतु सुझाए गए क्षेत्र/स्थान,
- (iii) पारेषण प्रणाली के साथ सम्भाव्य स्थलों के एकीकरण और पारेषण प्रणालियों के प्रकार सहित राष्ट्रीय ग्रिड का विकास और अतिरिक्तता की मांग का विकास और
- (iv) दक्ष उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकें,
- (v) अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर ईंधन विकल्प।

(ग) : 12वीं योजना (2012-17) के दौरान परम्परागत स्रोतों से संभावित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि 88537 मेगावाट के लाभ की तुलना में 1,02,811 मेगावाट है।

दिनांक 31.10.2016 तक की स्थिति के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से अब तक हासिल की गई क्षमता अभिवृद्धि 88928.2 मेगावाट है जिसमें हाइड्रो में 4140.02 मेगावाट, थर्मल से 83788.2 मेगावाट और न्यूक्लीयर से 1000 मेगावाट शामिल है।

(घ) : नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के संबंध के परिणामस्वरूप ग्रिड स्थायित्व बनाए रखने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के साथ संबद्धता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 (2013 में यथासंशोधित) में संशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये विनियम ग्रिड के साथ संबद्धता की अपेक्षा करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादकों द्वारा पूरी की जाने वाली तकनीकी/प्रचालन संबंधी मांगों का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त विनियमों के लिए संशोधन प्रारूप दिनांक 08.11.2016 को सीईए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इस पर दिनांक 31.12.2016 तक जनता के सदस्यों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

(ङ) : वर्तमान योजना अवधि (2012-17) के दौरान सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 35890 मेगावाट होने की संभावना है जोकि इसी अवधि के दौरान 86750 मेगावाट की कुल संभावित कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 41.0% है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3758

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत ग्रिड की साइबर हमलों से सुरक्षा की प्रणाली

3758. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में विद्युत ग्रिड की साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली बनाने और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली कार्यान्वित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत वितरण के लिए पर्यवेक्षणीय नियंत्रण और डेटा अर्जन प्रणाली का संस्थापन करार भारतीय कंपनियों की बजाय मुख्यतया चीनी कंपनियों के साथ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) चीनी वर्चस्व को कम करने हेतु करार प्रदान करने की प्रणाली को नियमित करने के लिए और मेक इन इंडिया नीति के आदर्शों के अनुसार स्वदेशी ठेकेदारों की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ। देश में पावर ग्रिडों को साइबर हमले से सुरक्षित करने की प्रणालियां पहले से ही मौजूद हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) (ओ बी) के अंतर्गत तैयार की गई सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा व्यवहार एवं प्रक्रिया तथा संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े अथवा सूचना) नियमावली, 2011 का नियम 8(2) सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का अनुपालन अधिदेशित करता है। पावर ग्रिड तथा पोसोको के क्रिटिकल व्यवस्था को सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मानक के लिए प्रमाणित किया गया है। मंत्रालय साइबर हमले से सुरक्षा के लिए एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल जैसी नोडल एजेंसियों के

साथ क्रमशः सर्ट-थर्मल, सर्ट-हाइड्रो तथा सर्ट-ट्रांसमिशन (कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉस टीम) का गठन भी कर चुका है।

(ख) : विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा संबंधित यूटिलिटी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अर्जन (स्काडा) के अनुबंध संबंधित राज्यों/यूटिलिटियों द्वारा किए जाते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय भागीदारी के साथ डॉगफैंग इलैक्ट्रॉनिक कंपनी लि., चाइना नामक चीनी कंपनी को मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान तथा तमिलनाडु में स्काडा कार्यान्वयन अनुबंध अवार्ड किए गए हैं।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटियों (पीएसयू) को विद्युत पारेषण एवं वितरण/स्विचयार्ड उपस्कर से संबंधित परामर्श/दिशा-निर्देश जारी किए थे। घरेलू निर्माण क्षमता के न होने पर, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी निविदाओं में, भारतीय बोलीदाता के साथ संघ/संयुक्त उद्यम बनाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का अंतरण सुनिश्चित करने की अनुमति है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3763

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

पंच सितारा रेटिंग वाले सीलिंग फैन

3763. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का एक अन्य योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसके तहत परिवारों और व्यवसायों को ऊर्जा की बचत करने वाले 5 स्टार वाले 5 वॉट के सीलिंग फैन बहुत आसान ईएमआई पर दिये जायेंगे जिससे ऊर्जा खपत तथा विद्युत बिलों में बचत होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : परिवारों और व्यावसायों हेतु ऊर्जा दक्ष 5 स्टार रेटेड 5 वाट सीलिंग पंखों को प्रदान करने की स्कीम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिनांक 07 अप्रैल, 2016 को आंध्र प्रदेश द्वारा परंपरागत 75 वाट के पंखों को 50 वाट के 5 स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पंखों से बदलने के लिए ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम शुरू किया है। इन ऊर्जा दक्ष पंखों को अपफ्रंट भुगतान पर रु.1,100/- प्रति यूनिट पर और रु.1,250/- की समान मासिक किस्त (ईएमआई) में प्रदान किया जा रहा है। इस ईएमआई को उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में समायोजित किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3767

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ग्रिड मिशन

3767. श्री सी.एस. पुड्डा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रिड मिशन के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों से कार्य- योजना प्रदान करने को कहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने राज्यों ने प्रतिक्रिया दी है तथा राज्य सरकारों से कितनी परियोजनाएं भेजी गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मिशन के तहत परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिशन के आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय के अधीन कोई 'राष्ट्रीय ग्रिड मिशन' कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2015 में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" (एनएसजीएम) शुरू किया गया है। एनएसजीएम के लिए आवंटित निधियां वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः 40 करोड़ रु. और 30 करोड़ रु. थी।

नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, एनएसजीएम के अंतर्गत अब तक 577.35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 4 शहरों के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं:

क्र.सं.	शहर	अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
1.	अमरावती (महाराष्ट्र)	90.05
2.	कांग्रेस नगर (नागपुर)	139.15
3.	चंडीगढ़	28.58
4.	कानपुर	319.57

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3773

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

सभी के लिए 24x7 घंटे बिजली

3773. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से सभी को 24x7 घंटे विद्युत प्रदान करने हेतु राज्य विशेष कार्रवाई योजना तैयार करने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वित्तीय कठिनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : निरंतर और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य/विद्युत यूटिलिटीयों का दायित्व है। यद्यपि, सभी को 24x7 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत दस्तावेज हस्ताक्षरित किए गए हैं।

(ग) और (घ) : 'सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत' पहल के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संघ सरकार का कोई पृथक अनुदान नहीं है। तथापि, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी स्कीमों से भारत सरकार उद्देश्य को हासिल करने में राज्यों की सहायता करती है। राज्य भी अपने स्वयं के अनुदान अथवा वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित निधि की व्यवस्था कर सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3777

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

3777. श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने घरेलू रूप से विनिर्मित विद्युत उत्पादों की दक्षता जांचने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : घरेलू रूप से विनिर्मित विद्युत उत्पादों की दक्षता की जाँच करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानकीकरण एवं लेबलीकरण (एस एण्ड एल) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)/इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ)/इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) द्वारा परिभाषित ऊर्जा दक्षता जाँच के लिए विद्युत उत्पादों के संबंधित जाँच मानकों का उपयोग करते हैं। जाँच प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए, एस एण्ड एल कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत सभी विनिर्माताओं से नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) या कैलीब्रेशन लेबोरेट्रीज एक्रीडिटेशन कारपोरेशन (आईएलएसी) या एशिया पैसिफिक लेबोरेट्री एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन (एपीएलएसी) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में की गई संबंधित सभी जाँच रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3780

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों का पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन

3780. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों के पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई उपाय/पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या हाल ही में टैरी अनुशंसित स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के कार्यान्वयन हेतु कोई पहल किए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में सभी विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सुरक्षित पर्यावरण हेतु विद्युत संयंत्रों के द्वारा कोई प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के पर्यावरणीय निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- I. सभी ताप विद्युत संयंत्रों को विद्युत संयंत्र की स्थापना से संबंधित कार्य शुरू करने से पूर्व संबद्ध विनियामक प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (एमओईएफएंडसीसी) मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।
- II. 13वीं योजना अवधि के दौरान कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि केवल सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से की जाएगी। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाने से पार्टिकुलेट मैटर SO₂, NO_x तथा CO₂ के प्रति यूनिट उत्सर्जन में कमी करने में मदद मिलेगी।
- III. अदक्ष और पुरानी ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की चरणबद्ध समाप्ति का कार्य भी शुरू किया गया है। लगभग 6010 मेगावाट क्षमता दिनांक 31.10.2016 तक पहले ही समाप्त की जा चुकी है।
- IV. पुरानी और अदक्ष कोयला आधारित ताप यूनिटों को और अधिक दक्ष सुपर क्रिटिकल यूनिटों से बदलने के लिए राज्य यूटिलिटीयों/आईपीपी को सुगम बनाने के लिए, भारत सरकार ने नई सुपर क्रिटिकल यूनिटों को पुराने संयंत्रों को मंजूर किए गए कोयला लिंकेज के स्वमेव हस्तांतरण की एक नीति तैयार की है।

- V. स्वच्छ विद्युत उत्पादन जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन शामिल है, को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) को बढ़ाने के लिए कोयला उपकर 200 रूपए टन से बढ़ाकर 400 रूपए टन कर दिया गया है।
- VI. 2012 में शुरू की गई परफार्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) स्कीम से थर्मल यूनिटों की यूनिट हीट दर में सुधार हुआ है और इससे उत्सर्जन में कमी आई है।
- VII. ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन/बहिस्त्राव हेतु मानदण्डों को पार्टिकुलर मैटर के लिए सख्त उत्सर्जन मानदण्ड लगाकर और SO₂ तथा NO_x के गैसी उत्सर्जन और जल की खपत के लिए सीमा लगाकर दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के तहत एमओईएफएंडसीसी द्वारा संशोधित किया गया है।
- VIII. इन यूनिटों से प्रदूषकों के बहिस्त्राव के अनुपालन का पता लगाने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बहिस्त्राव गुणवत्ता वाले तथा सामान्य बहिस्त्राव वाली निगरानी प्रणालियों की संस्थापना के लिए ताप विद्युत संयंत्रों सहित अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों को निर्देश देने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जल एवं वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
- IX. भारत सरकार ने दिनांक 28 जनवरी, 2016 को प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें यह अनिवार्य बनाया है कि म्यूनििसिपैल्टी/स्थानीय निकायों/समान संगठन के सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र के 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित वर्तमान संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र से अपनी दूरी पर निर्भर रहते हुए अनिवार्य रूप से इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज जल का प्रयोग करेंगे और इस कारण संबद्ध लागत की प्रशुल्क में पास थ्रू के रूप में अनुमति दी जाए।

(ख) : स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) वर्क ऑन फ्रेमवर्क एंड रूल को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया। पेरिस करार का अनुच्छेद 6 बाजार तंत्र से संबंधित है।

(ग) : (i) सभी विद्युत संयंत्र पर्यावरण की सुरक्षा तथा आर्थिक संतुलन बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वनरोपण है। ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) संयंत्र क्षेत्र में तथा उसके आस पास (टाउनशिप, संयंत्र क्षेत्र के आस-पास का हरित क्षेत्र आदि) वनरोपण करते हैं।

(ii) भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने कोयला/ लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 2008-09 से राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। एवार्ड के चयन हेतु वनरोपण प्रमुख पर्यावरणीय पैरामीटरों में से एक है।

(घ) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

- I. फ्लू गैसों से पार्टिकुलेट मैटर (फ्लाइ एश) का पता लगाने के लिए उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए जाते हैं।
- II. फ्लू गैसों से NO_x उत्सर्जन को कम करने के लिए न्यून NO_x बर्नरों का प्रयोग किया जाता है।
- III. 500 मेगावाट और उससे अधिक के बड़े आकार की यूनिटों में टाल स्टैक (275 मीटर) से फ्लू गैसों के छितराव द्वारा SO₂ उत्सर्जन नियंत्रण हासिल किया गया था। संवेदनशील क्षेत्रों में एमओईएफएंडसीसी द्वारा निर्धारित अनुसार एफडीडी संयंत्र भी संस्थापित किए गए हैं।
- IV. बागवानी हेतु पुनचक्रित/प्रयोग किए जाने वाले जलीय/जल की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से उत्पादित निस्सारी के उपचार के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों में निस्सारी उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने हैं।
- V. आवासीय क्षेत्र/टाउनशिप का सीवेज/व्यर्थ जल के उपचार के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना की जाती है।
- VI. कोल डस्ट की बाहरी निकासी को नियंत्रित करने के लिए कोयला सम्भाल संयंत्र में कचरा निकालने वाली तथा कचरे को दबाने वाली प्रणालियां उपलब्ध करवाई जाती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3787

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

सार्क देशों में पनबिजली परियोजनाएं

3787. श्री भरत सिंह:

श्री मानशंकर निनामा:

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सार्क देशों में भारत द्वारा क्रियान्वित की जा रही पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त परियोजनाओं से हमारे देश को कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत उपलब्ध होने की संभावना है;
- (ग) उक्त परियोजनाओं में साझेदार भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक की कुल लागत और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उक्त परियोजनाओं के देश-वार कब तक विद्युत उत्पादन शुरू करने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : तीन जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) अर्थात् पुनत्सांगछू-1, पुनत्सांगछू-11 और मंगडेछू भूटान में भारत सरकार (जीओआई) की सहायता से निर्माणाधीन हैं। द्विपक्षीय करार के अनुसार, भूटान की शाही सरकार इस पर सहमत है कि इन परियोजनाओं से अतिरिक्त विद्युत भारत को बेची जाएगी।

ये जल विद्युत परियोजनाएं भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच अंतर-सरकारी करार के अनुसरण में उनकी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। विद्युत उत्पादन शुरू करने वाली संभावित परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता, कुल लागत और समय इस प्रकार है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल लागत (करोड़ रूपए)	पूर्ण होने की सहमत तिथि
1.	पुनत्सांगछू चरण-1	1200	9375.60 (दिसंबर, 2013 पीएल)	2019-20
2.	पुनत्सांगछू चरण-11	1020	7290.62 (दिसंबर, 2015 पीएल)	2018-19
3.	मंगडेछू	720	4020.63 (मार्च, 2014 पीएल)	2018-19

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3794

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी

3794. श्री रवीन्द्र कुमार राय:

प्रो. चिंतामणि मालवीय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तापविद्युत संयंत्र अपनी वर्तमान प्रौद्योगिकी के कारण घरेलू कोयले का उपयोग नहीं कर सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विद्युत संयंत्रों की वर्तमान प्रौद्योगिकी को संशोधित करने का विचार है ताकि वे घरेलू कोयले का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। भारत में अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र घरेलू कोयले का उपयोग करने हेतु अभिकल्पित (डिजाइन) किए जाते हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3817

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3817. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अनेक इकाइयों की संयंत्र-भार क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है;
- (ख) यदि हां, तो संयंत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम परिकल्पित किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो संयंत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस प्रयोजन हेतु आवंटित और प्रयुक्त निधियां कितनी हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बहुत सी ताप और जल विद्युत उत्पादन यूनिटों की संयंत्र भार क्षमता में वृद्धि हुई है। ऐसी ताप और जल विद्युत उत्पादन यूनिटों का संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : ताप उत्पादन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) कार्य उनकी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किए जाते हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान आर एण्ड एम/जीवन विस्तार कार्यों का संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग, भारत सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरपीएल) के बिहार घटक के लिए विशेष योजना के अंतर्गत बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के बरौनी ताप विद्युत स्टेशन की ताप विद्युत उत्पादन यूनिट 6 एवं 7 (2x110 मेगावाट) और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) के मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन की यूनिट 1 एवं 2 (2x110 मेगावाट) के आर एण्ड एम कार्य शुरू किए गए हैं। बरौनी टीपीएस यूनिट 6 एवं 7 और मुजफ्फरपुर टीपीएस यूनिट 1 एवं 2 के आर एण्ड एम कार्यों के लिए आवंटित 1053.00 करोड़ रुपये अनुदान की तुलना में दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई निधि 935.00 करोड़ रुपये है।

12वीं योजना अवधि के दौरान, कुल 23 जल विद्युत आर एण्ड एम स्कीमें (केंद्रीय क्षेत्र में 2 और राज्य क्षेत्र में 21) जिनकी संस्थापित क्षमता लगभग 4077 मेगावाट है और जिससे लगभग 1373 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अपरेटिंग, जीवन विस्तार और बहाली के माध्यम से लगभग 567 मेगावाट का प्रोद्भूत लाभ होगा, पूरा किए जाने की संभावना है। 12वीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने के लिए प्रत्याशित 23 जल विद्युत आर एण्ड एम स्कीमों की निधियों के ब्यौरे सहित राज्य-वार सूची **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3817 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आरएंडएम कार्यों के कारण, जहां बढ़ती हुई क्षमता पंजीकृत की गई है, टीपीएस का संयंत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा

(30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	ताप विद्युत संयंत्र/यूनिट सं.	यूटिलिटी/राज्य	प्रारंभिक क्षमता (मेगावाट)	प्राप्त किया गया संयंत्र भार क्षमता (मेगावाट)	पूर्ण होने का वर्ष
1	भटिंडा टीपीएस/यूनिट-4	पीएसपीसीएल/पंजाब	110	120	2013-14
2	हरदुआगंज टीपीएस/यूनिट-7	यूपीआरवीयूएनएल/यू.पी.	110	120	2015-16
3	बंदेल टीपीएस/यूनिट-5	डब्ल्यूबीपीडीसीएल/पश्चिम बंगाल	210	215	2015-16

12वीं योजना अवधि में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्ण की गई हाइड्रो आरएमयूएंडएलई स्कीमों की राज्य-वार सूची

(30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी	पूर्ण होने का वर्ष
1.	बस्सी, एचपीएसईबी	124.25	6.0(यू)+ 60 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2013-14
2.	साबरीगिरी, केएसईबी, यूनिट-4	1x55	5(यू)	आरएमएंडयू	2014-15
3.	पोरिंगमकुथु, केएसईबी	4x8	4 (यू) +32.00 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2015-16
4.	पेरियार, टांजेडको	4x35	140(एलई) + 28.00 (यू)	आरएमयूएंडएलई	2015-16
	कुल	287	275 [43(यू)+ 232 (एलई)]		

संक्षिप्त: आरएंडएम - नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; यू - अपरेटिंग; एलई - जीवन विस्तार; आरईएस - पुनरुद्धार;

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3817 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार (एलई)/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्यों के लिए चिन्हित की गईं आंशिक ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा

राज्य क्षेत्र

राज्य क्षेत्र (एलई कार्यक्रम)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	10	1977	200
2		ओबरा	11	1977	200
3		ओबरा	12	1981	200
4		ओबरा	13	1982	200
5		हरदुआगंज	7	1978	110
6		परीछा	1	1984	110
7		परीछा	2	1985	110
8	पंजाब	भटिंडा	3	1978	110
9		भटिंडा	4	1979	110
10	हरियाणा	पानीपत	3	1985	110
11		पानीपत	4	1985	110
12	महाराष्ट्र	नासिक	3	1979	210
13		नासिक	4	1980	210
14		कोराडी	5	1978	200
15		कोराडी	6	1982	210
16		भुसावल	2	1979	210
17		भुसावल	3	1982	210
18		चंद्रपुर	1	1983	210
19		चंद्रपुर	2	1984	210
20		पार्ली	3	1980	210
21		छत्तीसगढ़	कोरबा (पश्चिम)	1	1983
22	कोरबा (पश्चिम)		2	1984	210
23	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	6	1979	200
24		सतपुड़ा	7	1979	210
25	तमिलनाडु	तूतीकोरन	1	1979	210
26		तूतीकोरन	2	1980	210
27	आंध्र प्रदेश	डॉ .एन.टी .टीपीएस (विजयवाड़ा)	1	1979	210
28		डॉ .एन.टी .टीपीएस (विजयवाड़ा)	2	1980	210
29	कर्नाटक	रायचूर	1	1985	210
30		रायचूर	2	1986	210
31	बिहार	बरौनी	6	1983	110
32		बरौनी	7	1985	110

33		मुजफ्फरपुर	1	1985	110
34		मुजफ्फरपुर	2	1986	110
35	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	1	1990	210
36		कोलाघाट	2	1985	210
37		कोलाघाट	3	1984	210
38		बंदेल	5	1982	210
उप जोड़ राज्य क्षेत्र (एलई)			38		6820

राज्य क्षेत्र (आरएंडएम कार्यक्रम)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	7	1974	100
2		अनपारा	1	1986	210
3		अनपारा	2	1986	210
4		अनपारा	3	1988	210
5		अनपारा 'बी	4	1993	500
6		अनपारा 'बी	5	1994	500
7	पंजाब	रोपड़	1	1984	210
8		रोपड़	2	1985	210
9		रोपड़	5	1992	210
10		रोपड़	6	2001	210
11	हरियाणा	पानीपत	5	1993	210
12	गुजरात	वानकबोरी	1	1982	210
13		वानकबोरी	2	1983	210
14		उकाई	3	1979	200
15		उकाई	4	1979	200
16	राजस्थान	कोटा	1	1983	110
17		कोटा	2	1983	110
18	झारखण्ड	पतरातु	9	1984	110
19		पतरातु	10	1986	110
20	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	6	1985	110
उप जोड़ राज्य क्षेत्र (आरएंडएम)			20		4150
कुल राज्य क्षेत्र (एलई+आरएंडएम)			58		10970

केंद्रीय क्षेत्र

केंद्रीय क्षेत्र एलई कार्यक्रम (कोयला आधारित)

क्रम सं.	यूटिलिटी	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	डीवीसी	बोकारो 'बी'	1	1986	210
2		बोकारो 'बी'	2	1990	210
3		बोकारो 'बी'	3	1993	210
4		दुर्गापुर	4	1982	210
5	एनटीपीसी	बदरपुर	4	1978	210
6		बदरपुर	5	1981	210
7		सिंगरौली एसटीपीएस	1	1986	200

8		सिंगरौली एसटीपीएस	2	1987	200
9		सिंगरौली एसटीपीएस	3	1983	200
10		सिंगरौली एसटीपीएस	4	1983	200
11		सिंगरौली एसटीपीएस	5	1984	200
12		कोरबा एसटीपीएस	1	1983	200
13		कोरबा एसटीपीएस	2	1983	200
14		कोरबा एसटीपीएस	3	1984	200
15		रामागुंडम एसटीपीएस	1	1984	200
16		रामागुंडम एसटीपीएस	2	1984	200
17		रामागुंडम एसटीपीएस	3	1984	200
उप जोड़ सी.एस. (एलई कोयला आधारित)			17		3460

केंद्रीय क्षेत्र एलई कार्यक्रम (गैस आधारित)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	एनटीपीसी	दादरी जीटी	जीटी-1	1991	131
2		दादरी जीटी	जीटी-2	1991	131
3		दादरी जीटी	जीटी-3	1991	131
4		दादरी जीटी	जीटी-4	1991	131
5		औरैया जीटी	जीटी-1	1989	111.19
6		औरैया जीटी	जीटी-2	1989	111.19
7		औरैया जीटी	जीटी-3	1989	111.19
8		औरैया जीटी	जीटी-4	1989	111.19
9		कवास जीटी	जीटी-1ए	1992	106
10		कवास जीटी	जीटी-1बी	1992	106
11		कवास जीटी	जीटी-2ए	1992	106
12		कवास जीटी	जीटी-2बी	1992	106
13		गांधार जीटी	जीटी-1	1994	131
14		गांधार जीटी	जीटी-2	1994	131
15		गांधार जीटी	जीटी-3	1994	131
उप जोड़ सी.एस. (एलई गैस आधारित)			15		1785.8

केंद्रीय क्षेत्र आरएंडएम कार्यक्रम (कोयला आधारित)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस	6	1986	500
2		सिंगरौली एसटीपीएस	7	1987	500
3		कोरबा एसटीपीएस	4	1987	500
4		कोरबा एसटीपीएस	5	1988	500
5		कोरबा एसटीपीएस	6	1988	500
6		रामागुंडम एसटीपीएस	4	1988	500
7		रामागुंडम एसटीपीएस	5	1989	500
8		रामागुंडम एसटीपीएस	6	1989	500
9		फरक्का चरण-II	4	1992	500
10		फरक्का चरण-II	5	1994	500
11		टांडा	2	1989	110
12		ऊंचाहार	1	1988	210
13		ऊंचाहार	2	1989	210

14		ऊंचाहार	3	1999	210
15		ऊंचाहार	4	1999	210
16		विंध्याचल	1	1987	210
17		विंध्याचल	2	1988	210
18		विंध्याचल	3	1989	210
19		विंध्याचल	4	1989	210
20		विंध्याचल	5	1990	210
21		विंध्याचल	6	1991	210
22		विंध्याचल	7	1999	500
23		विंध्याचल	8	2000	500
24		सिम्हाद्री	1	2002	500
25		सिम्हाद्री	2	2002	500
26		तलचर एसटीपीएस	1	1995	500
27		तलचर एसटीपीएस	2	1996	500
28		दादरी	1	1991	210
29		दादरी	2	1992	210
30		दादरी	3	1993	210
31		दादरी	4	1994	210
32		रिहन्द एसटीपीएस चरण III	1	1988	500
33		रिहन्द एसटीपीएस चरण III	2	1989	500
34		कहलगाँव	1	1992	210
35		कहलगाँव	2	1994	210
36		कहलगाँव	3	1995	210
37		कहलगाँव	4	1996	210
उप जोड़ सी.एस. (आरएंडएम कोयला आधारित)			37		12890
उप जोड़ सी.एस. कोयला आधारित (एलई + आरएंडएम)			54		16350

केंद्रीय क्षेत्र आरएंडएम कार्यक्रम (गैस आधारित)

1	नीपको	कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-1	1995	33.50
2		कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-2	1995	33.50
3		कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-3	1995	33.50
4		कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-4	1995	33.50
5		कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-5	1996	33.50
6		कथालगुडी सीसीजीटी	जीटी-6	1996	33.50
7		कथालगुडी सीसीजीटी	एसटी-1	1998	30.00
8		कथालगुडी सीसीजीटी	एसटी-2	1998	30.00
उप जोड़ सी.एस. (आरएंडएम गैस आधारित)			8		261
उप जोड़ सी.एस. गैस आधारित (एलई + आरएंडएम)			23		2046.8
सकल योग आरएंडएम + एलई (राज्य + केंद्रीय क्षेत्र)			135		29367

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3817 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना में पूर्ण होने के लिए योजनाबद्ध हाइड्रो आरएमयूएंडएलई स्कीमों की राज्य-वार सूची

(30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना, एजेंसी	सीएस/एसएस	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (अनंतिम)	वास्तविक व्यय	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी	पूर्ण होने का वर्ष
				(रुपए करोड़ में)				
पूर्ण की गई स्कीमें								
ओडिशा								
1	रेंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	एसएस	1x50	47.50	36.76 (30.06.12 की स्थिति के अनुसार)	50 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2012-13
2	रेंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	एसएस	1x50	25.2 (लगभग)	20.73	50 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2013-14
हिमाचल प्रदेश								
3	बस्सी, एचपीएसईबी	एसएस	4x15	124.25	158.26 (31.08.16 तक)	6.0(यू)+ 60 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2013-14
आंध्र प्रदेश								
4	लोअर सिलेरू, एपीजेनको	एसएस	4x115	8.75	6.77	-	आरएंडएम	2013-14
5	श्रीसैलम आरबी, एपीजेनको	एसएस	7x110	16.70	16.62	-	आरएंडएम	2015-16
तेलंगाना								
6	नागार्जुन सागर चरण-I वर्क्स, टीएसजेनको	एसएस	1x110+ 7x100.8	33.35	13.90 (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)	-	आरएंडएम	2012-13
केरल								
7	इदमालयार, केएसईबी	एसएस	2x37.5	14.50	13.22 (31.03.13 की स्थिति के अनुसार)	-	आरएंडएम	2012-13
8	साबरीगिरि, केएसईबी यूनिट-4	एसएस	1x55	52.2	50.41 (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)	5(यू)	आरएमयूएंडयू	2014-15
9	पोरिंगलकुटु, केएसईबी	एसएस	4x8	88.63	51.63 (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)	4 (यू) +32.00 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2015-16
असम								
10	खान्डोंग, नीपको	सीएस	1x25	25.05	29.18 (30.09.14 की स्थिति के अनुसार)	25.00 (एलई)	आरएमयूएंडएलई	2014-15
11	कोपिली, नीपको	सीएस	2x50	50.22	50.92 (30.09.14 की स्थिति के अनुसार)	-	आरएण्डएम एवं यूनिट 1 व 2 का रिफर्बिशमेंट	2014-15
कर्नाटक								
12	सूपा, केपीसीएल	एसएस	2x50	3.45	3.88 (30.09.14 की स्थिति के अनुसार)	-	आरएंडएम	2014-15

13	शरावती (चरण बी), केपीसीएल	एसएस	10x103.5	20	29.27	-	आरएण्डएम	2016-17
उत्तराखण्ड								
14	पथरी, यूजेवीएनएल	एसएस	3x6.8	113.25	109.04	20.40(एलई)	आरएमएण्डएलई	2014-15
15	खटीमा, यूजेवीएनएल	एसएस	3x13.8	256.77	116.97	41.40 (एलई)	आरएमएण्डएलई	2016-17
जम्मू व कश्मीर								
16	लोअर झेलम, जेएण्डकेएसपीडीसी	एसएस	3x35	101.30	96.10 (31.03.16 की स्थिति के अनुसार)	15.00 (आरईएस.)	आरएण्डएम + पुनःस्थापन	2014-15
17	सम्बल सिंध, जेएण्डकेएसपीडीसी	एसएस	2x11.3	25.00	24.60	-	आरएण्डएम	2016-17
उत्तर प्रदेश								
18	माताटीला, यूपीजेवीएनएल	एसएस	3x10.2	10.29	7.21 (30.06.15 की स्थिति के अनुसार)	30.6 (एलई)	आरएमएण्डएलई	2015-16
तमिलनाडु								
19	पेरियार, टैनजेडको	एसएस	4x35	161.18	133.68	140 (एलई) + 28.00(यू)	आरएमयूएण्डएलई	2015-16
पश्चिम बंगाल								
20	जलढाका चरण I, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	एसएस	3x9	88.62	79.97	27 (एलई)	आरएमएण्डएलई	2016-17
	उप जोड़ (क)		4014.60	1266.21	1049.39	534 [43(यू)+ 476 (एलई)+ 15 (आरईएस)]		
चल रही स्कीमें - कार्यान्वयनाधीन								
जम्मू व कश्मीर								
21	गंदरवाल, जेएण्डकेएसपीडीसी	एसएस	2x3+2x4.5	39.30	10.37	9.00 (एलई)	आरएमएण्डएलई	2016-17
22	चेन्नई, जेएण्डकेएसपीडीसी	एसएस	5x4.66	39.14	14.66	23.30 (एलई)	आरएमएण्डएलई	2016-17
कर्नाटक								
23	भद्रा रिवर बेड यूनिट, केपीसीएल	एसएस	2x12	28.015	24.21 (31.03.16 की स्थिति के अनुसार)	-	आरएण्डएम	2016-17
	उप जोड़ (ख)		62.30	106.46	49.24	32.30 [32.30 (एलई)]		
	कुल (क+ख)		4076.90	1372.67	1098.63	566.70 [43(यू) + 508.70 (एलई) + 15(आरईएस.)]		

संक्षिप्तीकरण: आरएण्डएम - नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; यू - अपरेटिंग; एलई - जीवन विस्तार;
आरईएस - पुनःस्थापन; एमडब्ल्यू - मेगावाट; सीएस - केंद्रीय क्षेत्र; एसएस - राज्य क्षेत्र

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3820

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

3820. श्री संजय धोत्रे:

श्री राजू शेड्डी:

श्री भर्तृहरि महाबाब:

डॉ. सत्यपाल सिंह:

श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्रोत-वार प्रस्तावित विद्युत क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या इनको पूरा करने की तिथि निकल जाने के कारण कुछ उक्त परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;
- (ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है और पृथक से परियोजना-वार लागत वृद्धि कितनी हुई है और इसके क्या कारण हैं और ऐसे विलंब में किसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और रोजगार के अपने वादे को पूरा किया है;
- (ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार, परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (च) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामले इसके प्रारंभ से ही सरकार के संज्ञान में आए हैं; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसमें व्याप्त अनियमितताओं/भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाए किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का स्रोत-वार एवं क्षेत्र-वार इनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के सहित ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) : कुछ निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं अधिक समय/लागत वाली हैं। समय/लागत आधिक्य वाली ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं में समय आधिक्य के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं:

ताप

- धीमी गति से सिविल निर्माण कार्य, संयंत्र शेष उपस्कर/प्रणालियों में विलंब,
- संविदात्मक मुद्दे,
- कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या,
- अन्य ग्राहक/परियोजना विकासकर्ता संबंधी मुद्दे,
- इकाइयों को भेल को सौंपने में विलंब,
- नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) की संभावना को अंतिम रूप देने में तथा अनुवर्ती परिवर्तनों में विलंब,
- ले आउट योजना में परिवर्तन,
- कल-पुर्जा की अनुपलब्धता।

हाइड्रो

- भूमि अधिग्रहण में विलंब,
- पर्यावरण एवं वन संबंधी मुद्दे,
- पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधी मुद्दे,
- प्राकृतिक आपदाएं,
- कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या एवं स्थानीय मुद्दे,
- संविदात्मक समस्याएं,
- भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं,
- दुर्गम क्षेत्र एवं खराब पहुँच मार्ग,
- निधि संबंधी बाधाएं,
- प्राकृतिक बाध्यकारी जोखिम,
- अंतर-राज्यीय मुद्दे।

लागत आधिक्य के प्रमुख कारणों में ब्याज दर में वृद्धि, सामान्य मूल्य सूचकांक तथा परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन शामिल है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (आर एण्ड आर) नीतियों के अनुसार, मौजूदा आर एण्ड आर नीतियों के अनुरूप पुनर्वास, पुनःस्थापन एवं आवश्यकता आधारित सामुदायिक विकास कार्यकलापों से संबंधित उपायों को शामिल करते हुए एक व्यापक परियोजना-विशिष्ट आर एण्ड आर योजना परियोजना प्रभावित परिवारों, जिला प्रशासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिनिधियों सहित पणधारकों को शामिल करते हुए परामर्शी एवं प्रतिभागिता रीति से तैयार की जाती है, को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा इसके पश्चात् उसका कार्यान्वयन किया जाता है।

(च) और (छ) : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों का ही रख-रखाव किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं शामिल हैं। केंद्रीकृत परियोजना-वार शिकायत के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता। तथापि, सतर्कता प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने निवारक/सक्रिय उपाय किए हैं जिनमें संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की पहचान करना तथा तीन वर्ष के पश्चात् उन्हें बदलना, ई-निविदा, ई-रिवर्स नीलामी, जैसे ई-गवर्नेंस उपायों का कार्यान्वयन और प्रापण, की प्रमुख मद्दों के लिए तकनीकी विनिर्देशनों का मानकीकरण करना इत्यादि शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3820 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	ईंधन
केंद्रीय क्षेत्र							
1	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसिरी लोअर	8x250	2000	2011	2020-21	हाइड्रो
2	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	4x150	600	2009-10	2017-18	हाइड्रो
3	अरुणाचल प्रदेश	पारे	2x55	110	2013-14	2017-18	हाइड्रो
4	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	250	मई-11	मार्च-17	थर्मल
			यू-3	250	सितं.-11	जून-17	थर्मल
5	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	मई-17	मई-17	थर्मल
			यू-2	660	नवं.-17	नवं.-17	थर्मल
			यू-3	660	मई-18	मई-18	थर्मल
6	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	195	जन.-13	दिसं.-16	थर्मल
7	बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-2	250	मई-13	मार्च-17	थर्मल
			यू-3	250	अग.-13	जुला.-17	थर्मल
			यू-4	250	नवं.-13	अक्टू.-17	थर्मल
8	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जन.-17	जून-17	थर्मल
			यू-2	660	जुला.-17	दिसं.-17	थर्मल
			यू-3	660	जन.-18	जून-18	थर्मल
9	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	यू-1	800	दिसं.-16	मार्च-17	थर्मल
			यू-2	800	जून-17	सितं.-17	थर्मल
10	हिमाचल प्रदेश	पारबती-II	4x200	800	2009-10	2018-19	हाइड्रो
11	जम्मू व कश्मीर	किशनगंगा	3x110	330	2015-16	2017-18	हाइड्रो
12	झारखण्ड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी	यू-1	660	फर.-18	फर.-19	थर्मल
			यू-2	660	अग.-18	अग.-19	थर्मल
			यू-3	660	फर.-19	फर.-20	थर्मल
13	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800	जन.-16	दिसं.-16	थर्मल
			यू-2	800	जुला.-16	मार्च-17	थर्मल
			यू-3	800	जन.-17	अग.-17	थर्मल
14	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी चरण-II	यू-4	660	सितं.-16	फर.-17	थर्मल
15	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	मई-16	मार्च-17	थर्मल
			यू-2	660	नवं.-16	अग.-17	थर्मल
16	मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी	यू-1	800	मार्च-17	जून-17	थर्मल
			यू-2	800	सितं.-17	दिसं.-17	थर्मल
17	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी	यू-1	660	मार्च-19	मार्च-19	थर्मल
			यू-2	660	सितं.-19	सितं.-19	थर्मल
18	मिजोरम	तुरियल	2x30	60	2006-17	2017-18	हाइड्रो
19	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	फर.-18	फर.-18	थर्मल
			यू-2	800	जून-18	जून-18	थर्मल
20	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-I	यू-1	800	जन.-20	जन.-20	थर्मल
			यू-2	800	जुला.-20	जुला.-20	थर्मल

21	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500	जून-15	नव.-17	थर्मल
			यू-2	500	दिसं.-15	मई-18	थर्मल
22	उत्तराखंड	टिहरी पीएसएस	4x250	1000	2010-11	2019-20	हाइड्रो
23	उत्तराखंड	लता तपोवन	3x57	171	2017-18	2021-22	हाइड्रो
24	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटि	4x111	444	2013-14	2019-20	हाइड्रो
25	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	4x130	520	2012-13	2019-20	हाइड्रो
26	उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.- IV	यू-6	500	दिसं.-16	मार्च-17	थर्मल
27	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	अप्रै.-17	थर्मल
			यू-2	660	दिसं.-16	अक्टू.-17	थर्मल
28	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	फर.-21	फर.-21	थर्मल
			यू-2	660	अग.-21	अग.-21	थर्मल
29	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी	यू-1	660	सितं.-18	सितं.-18	थर्मल
			यू-2	660	मार्च-19	मार्च-19	थर्मल
30	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	3x40	120	2019-20	2019-20	हाइड्रो
राज्य क्षेत्र							
31	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	जून-19	जून-19	थर्मल
32	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरन संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	मार्च-19	मार्च-19	थर्मल
33	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV	यू-6	600	जुला.-14	अप्रै.-17	थर्मल
34	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर टीआर	2x25	50	2008-09	2016-17	हाइड्रो
35	आंध्र प्रदेश	पोलावरम	12x80	960	2017-18	2021-22	हाइड्रो
36	असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	62.25	सितं.-11	दिसं.-16	थर्मल
			एसटी	36.15	जन.-12	सितं.-17	थर्मल
37	बिहार	बरोनी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	250	मई-14	जुला.-17	थर्मल
			यू-9	250	जुला.-14	दिसं.-17	थर्मल
38	गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-2	250	दिसं.-13	नव.-16	थर्मल
39	गुजरात	वानकबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800	अक्टू.-18	अक्टू.-18	थर्मल
40	हिमाचल प्रदेश	उहल-III	3x33.3	100	2006-07	2017-18	हाइड्रो
41	हिमाचल प्रदेश	कशांग-II व III	1x65 + 1x65	130	2013-14	2019-20	हाइड्रो
42	हिमाचल प्रदेश	सैंज	2x50	100	2014-15	2016-17	हाइड्रो
43	हिमाचल प्रदेश	स्वारा कुड्डु	3x37	111	2010-11	2018-19	हाइड्रो
44	हिमाचल प्रदेश	शौगटोंग करछम	3x150	450	2017-18	2019-20	हाइड्रो
45	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-2	800	अक्टू.-14	जन.-17	थर्मल
46	कर्नाटक	येलहांका सीसीपीपी	यू-1	370	मार्च-17	मार्च-18	थर्मल
47	केरल	पल्लीवसल	2x30	60	2010-11	2019-20	हाइड्रो
48	केरल	थोटियार	1x30 + 1x10	40	2012-13	2019-20	हाइड्रो
49	महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-10	660	जन.-16	नव.-16	थर्मल
50	महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस	2x40	80	2017-18	2019-20	हाइड्रो
51	मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी स्टे.-II	यू-3	660	जुला.-18	जुला.-18	थर्मल
			यू-4	660	नव.-18	नव.-18	थर्मल
52	मेघालय	न्यू उमतरू	2x20	40	2011-12	2016-17	हाइड्रो
53	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	यू-3	660	अग.-17	अक्टू.-17	थर्मल
			यू-4	660	जन.-18	जून-18	थर्मल
54	पंजाब	शाहपुरकांडी	3x33 +3x33+1x8	206	2017-18	2019-20	हाइड्रो
55	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660	जून-16	दिसं.-16	थर्मल
			यू-6	660	जून-18	दिसं.-18	थर्मल
56	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660	सितं.-16	फर.-17	थर्मल
			यू-8	660	दिसं.-16	अप्रै.-17	थर्मल
57	सिक्किम	तीस्ता-III	6x200	1200	2011-12	2016-17	हाइड्रो

58	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII	यू-1	800	नव.-17	जुला.-18	थर्मल
59	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी	यू-1	270	फर.-17	दिसं.-17	थर्मल
			यू-2	270	अप्रै.-17	फर.-18	थर्मल
			यू-3	270	जून-17	मई-18	थर्मल
			यू-4	270	अग.-17	अग.-18	थर्मल
60	तेलंगाना	पुलीचिताला	4x30	120	2009-11	2016-18	हाइड्रो
61	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18	थर्मल
62	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18	थर्मल
			यू-2	660	मार्च-18	मार्च-19	थर्मल
63	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	जुला.-19	जुला.-19	थर्मल
64	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	थर्मल
			यू-2	800	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	थर्मल
65	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	जून-19	जून-19	थर्मल
66	उत्तराखंड	व्यासी	2x60	120	2014-15	2018-19	हाइड्रो
67	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी स्टे.-II	यू-4	500	अक्टू.-14	दिसं.-16	थर्मल
निजी क्षेत्र							
68	अरुणाचल प्रदेश	गोंगरी	2x72	144	2017-18	2019-20	हाइड्रो
69	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अक्टू.-13	दिसं.-17*	थर्मल
			यू-2	660	मार्च-14	मई-18*	थर्मल
70	आंध्र प्रदेश	एसजीपीएल टीपीपी	यू-2	660	जून-15	जन.-17	थर्मल
71	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	मई-12	अग.-17	थर्मल
			यू-4	350	अग.-12	फर.-18	थर्मल
72	बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीपी	यू-1	660	अग.-14	-	थर्मल
			यू-2	660	दिसं.-14	-	थर्मल
			यू-3	660	अप्रै.-15	-	थर्मल
			यू-4	660	अग.-15	-	थर्मल
73	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-3	600	दिसं.-12	मार्च-16	थर्मल
			यू-4	600	अप्रै.-13	जून-17	थर्मल
			यू-5	600	अग.-13	मार्च-16	थर्मल
			यू-6	600	दिसं.-13	जून-18	थर्मल
74	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	अग.-13	नव.-16	थर्मल
			यू-2	300	नव.-13	जन.-17	थर्मल
			यू-3	300	फर.-14	-	थर्मल
			यू-4	300	मई-14	-	थर्मल
75	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जन.-13	जन.-17	थर्मल
			यू-4	660	मार्च-13	मई-17	थर्मल
76	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600	जून-14	मार्च-17	थर्मल
			यू-2	600	सितं.-14	सितं.-17	थर्मल
77	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी	यू-2	300	अप्रै.-14	दिसं.-16	थर्मल
78	छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-3	360	फर.-13	दिसं.-16	थर्मल
			यू-4	360	जुला.-13	मई-17	थर्मल
79	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	सितं.-11	-	थर्मल
80	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600	अग.-13	-	थर्मल
81	हिमाचल प्रदेश	सोरांग	2x50	100	2012-13	2017-18	हाइड्रो
82	हिमाचल प्रदेश	टिडोंग-I	2x50	100	2013-14	2017-18	हाइड्रो
83	हिमाचल प्रदेश	टंगनु रोमई-I	2x22	44	2014-15	2018-19	हाइड्रो
84	हिमाचल प्रदेश	बजोली होली	3x60	180	2017-18	2019-20	हाइड्रो
85	हिमाचल प्रदेश	चंजू-I	3x12	36	2014-15	2016-17	हाइड्रो
86	जम्मू व कश्मीर	रत्ले	4x205	850	2017-18	2021-22	हाइड्रो
			1x30				
87	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	मई-12	2017-18	थर्मल
			यू-2	270	जून-12	2018-19	थर्मल

88	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	फर.-13	-	थर्मल
			यू-4	270	मार्च-13	-	थर्मल
89	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	जुला.-12	-	थर्मल
			यू-2	600	सितं.-12	-	थर्मल
90	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	दिसं.-15	-	थर्मल
91	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुला.-14	2020-21	थर्मल
			यू-2	270	सितं.-14	2021-22	थर्मल
			यू-3	270	नवं.-14	2021-22	थर्मल
			यू-4	270	जन.-15	2021-22	थर्मल
92	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	जन.-14	जून-17	थर्मल
			यू-2	660	मई-14	सितं.-17	थर्मल
93	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -I	यू-2	270	अप्रै.-12	दिसं.-16	थर्मल
			यू-3	270	जून-12	दिसं.-16	थर्मल
			यू-4	270	अग.-12	फर.-17	थर्मल
			यू-5	270	अक्टू.-12	अप्रै.-17	थर्मल
94	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -II	यू-1	270	अप्रै.-13	-	थर्मल
			यू-2	270	जून-13	-	थर्मल
			यू-3	270	अग.-13	-	थर्मल
			यू-4	270	अक्टू.-13	-	थर्मल
			यू-5	270	दिसं.-13	-	थर्मल
95	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	दिसं.-16	2018-19	थर्मल
			यू-2	300	मार्च-17	2018-19	थर्मल
96	महाराष्ट्र	शीरपुर पावर	यू-1	150	फर.-15	फर.-17	थर्मल
			यू-2	150	अप्रै.-15	अप्रै.-17	थर्मल
97	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600	जून-15	नवं.-16	थर्मल
98	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	-	थर्मल
99	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45	अप्रै.-14	2017-18	थर्मल
100	मध्य प्रदेश	महेश्वर	10x40	400	2001-02	2017-19	हाइड्रो
101	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	दिसं.-11	मार्च-17	थर्मल
102	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसं.-11	-	थर्मल
			यू-2	350	जन.-12	-	थर्मल
			यू-3	350	मार्च-12	-	थर्मल
103	ओडिशा	लेंको बबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रै.-13	फर.-18	थर्मल
			यू-2	660	अग.-13	अग.-18	थर्मल
104	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	दिसं.-12	2017-18	थर्मल
			यू-2	525	फर.-13	2018-19	थर्मल
105	सिक्किम	तीस्ता-VI	4x125	500	2012-13	2021-22	हाइड्रो
106	सिक्किम	रंगित-IV	3x40	120	2011-12	2018-19	हाइड्रो
107	सिक्किम	भास्मे	2x25.5	51	2012-13	2019-20	हाइड्रो
108	सिक्किम	ताशिडिंग	2x48.5	97	2015-16	2016-17	हाइड्रो
109	सिक्किम	दिक्चू	2x48	96	2017-18	2016-17	हाइड्रो
110	सिक्किम	रंगित-II	2x33	66	2017-18	2019-20	हाइड्रो
111	सिक्किम	रौंगनीचू	2x48	96	2015-16	2019-20	हाइड्रो
112	सिक्किम	पनन	4x75	300	2018-19	2020-21	हाइड्रो
113	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)	यू-1	660	मई-12	2018-19	थर्मल
114	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	सितं.-18	सितं.-18	थर्मल
115	उत्तराखंड	फाटा ब्यूंग	2x38	76	2013-14	2019-20	हाइड्रो
116	उत्तराखंड	सिंगोली भटवारी	3x33	99	2012-13	2020-21	हाइड्रो
117	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-3	660	दिसं.-14	दिसं.-16	थर्मल
118	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी	यू-1	150	नवं.-15	जन.-17	थर्मल
			यू-2	150	फर.-16	अक्टू.-17	थर्मल
			यू-3	150	मई-16	फर.-18	थर्मल

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3820 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अधिक लागत और समय आधिक्य वाली निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं									
क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	ईंधन	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	मूल लागत (रु. करोड़ में)	नवीनतम लागत (रु. करोड़ में)
केंद्रीय क्षेत्र									
1	अरुणाचल प्रदेश	पारे	2x55	110	हाइड्रो	2012-13	2017-18	573.99	1339.57
2	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	4x150	600	हाइड्रो	2009-10	2017-18	2496.9	6179.96
3	अरुणाचल प्रदेश/असम	सुबानसिरी लोअर	8x250	2000	हाइड्रो	2006-11	2020-21	6285.33	17435.15
4	असम	बोंगाईगांव टीपीएस	यू-2	250	थर्मल	मई-11	अप्रै.-17	4375.35	6749.18
			यू-3	250	थर्मल	सितं.-11	जुला.-17		
3 यूनिटों के लिए लागत									
5	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	थर्मल	अक्टू.-13	मई-17	8693	15095.67
			यू-2	660	थर्मल	अप्रै.-14	नवं.-17		
			यू-3	660	थर्मल	अक्टू.-14	मई-18		
6	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	195	थर्मल	जन.-13	दिसं.-16	3154.33	3942.16
			2 यूनिटों के लिए लागत						
7	बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-2	250	थर्मल	सितं.-13	मई-17	5352.51	7998
			यू-3	250	थर्मल	जन.-14	जुला.-17		
			यू-4	250	थर्मल	मई-14	अक्टू.-17		
4 यूनिटों के लिए लागत									
8	बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	थर्मल	जन.-17	जून-17	13624.02	15131.67
			यू-2	660	थर्मल	जुला.-17	दिसं.-17		
			यू-3	660	थर्मल	जन.-18	जून-18		
9	हिमाचल प्रदेश	पारबती-II	4x200	800	हाइड्रो	2009-10	2018-19	3919.59	8398.75
10	जम्मू व कश्मीर	किशनगंगा	3x110	330	हाइड्रो	2014-15	2017-18	2238.67	5783.17
11	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	थर्मल	मई-16	अप्रै.-17	9395.18	9395.18
			यू-2	660	थर्मल	नवं.-16	अग.-17		
12	मिजोरम	तुरियल	2x30	60	हाइड्रो	2006-17	2017-18	368.72	1441.52
13	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-1	500	थर्मल	जून-15	फर.-18	5907.11	5907.11
			यू-2	500	थर्मल	दिसं.-15	मई-18		
14	उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.- IV	यू-6	500	थर्मल	दिसं.-16	नवं.-17	3363.12	3363.12
15	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	थर्मल	जून-16	अप्रै.-17	10821	10821
			यू-2	660	थर्मल	दिसं.-16	अक्टू.-17		
			यू-4	660	थर्मल	जन.-18	अनिश्चित		
16	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटि	4x111	444	हाइड्रो	2013-14	2019-20	2491.58	-
17	उत्तराखंड	लता तपोवन	3x57	171	हाइड्रो	2017-18	2021-22	1527	-
18	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	4x130	520	हाइड्रो	2012-13	2019-20	2978.48	3846.3
19	उत्तराखंड	टिहरी	4x250	1000	हाइड्रो	2010-11	2019-20	1657.6	2978.86

राज्य क्षेत्र									
20	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-II	यू-6	600	थर्मल	अग.-14	अप्रै.-17	3028.86	3781.86
21	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर टेल पूल	2x25	50	हाइड्रो	2008-09	2016-17	464.63	958.67
22	आंध्र प्रदेश	पोलावरम	12x80	960	हाइड्रो	2017-18	2021-22	16010.45	-
23	असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	थर्मल	सितं.-11	जुला.-16	411	694
			एसटी	30	थर्मल	जन.-12	मार्च-17		
24	बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	250	थर्मल	मई-14	फर.-17	3666.06	5308
			यू-9	250	थर्मल	जुला.-14	अप्रै.-17		
25	गुजरात	आवनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-2	250	थर्मल	मई-13	सितं.-16	3742.08	4223.11
			2 यूनिटों के लिए लागत						
26	हिमाचल प्रदेश	कशांग-II व III	1x65+	65	हाइड्रो	2013-14	चालू	601.78	-
			1x65	65	हाइड्रो	2013-14	2019-20		
27	हिमाचल प्रदेश	उहल-III	3x33.33	100	हाइड्रो	2006-07	2017-18	431.56	940.84
28	हिमाचल प्रदेश	स्वारा कुड्डु	3x37	111	हाइड्रो	2010-11	2018-18	558.53	1181.9
29	हिमाचल प्रदेश	सैंज	2x50	100	हाइड्रो	2014-15	2016-17	784.56	-
30	हिमाचल प्रदेश	शाँगटोंग करछम	3x150	450	हाइड्रो	2017-18	2019-20	2807.83	3316.35
31	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-2	800	थर्मल	अक्टू.-14	अग.-16	9015	12770
32	केरल	पल्लीवसल	2x30	60	हाइड्रो	2010-11	2019-20	222	284.69
33	केरल	थोटियार	1x30+ 1x10	40	हाइड्रो	2012-13	2019-20	136.79	150.02
34	महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-10	660	थर्मल	जन.-16	अग.-16	11880	13232.1
			3 यूनिटों के लिए लागत						
35	महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस	2x40	80	हाइड्रो	2017-18	2019-20	245.02	1494.94
36	मेघालय	न्यू उमतरू	2x20	40	हाइड्रो	2011-12	2016-18	226.4	599
37	पंजाब	शाहपुरकांडी	3x33 + 3x33 + 1x8	206	हाइड्रो	2017-18	2019-20	2285.81	-
38	राजस्थान	छाबड़ा एसटीपीपी	यू-5	660	थर्मल	सितं.-16	फर.-17	7920	7950.33
			यू-6	660	थर्मल	जून-18	दिसं.-18		
39	सिक्किम	तीस्ता स्टेट-III	6x200	1200	हाइड्रो	2011-12	2016-17	5705.55	13965
40	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी	यू-1	270	थर्मल	फर.-17	नवं.-17	5044	5044
			यू-2	270	थर्मल	अप्रै.-17	जन.-18		
			यू-3	270	थर्मल	जून-17	मार्च-18		
			यू-4	270	थर्मल	अग.-17	मई-18		
41	तेलंगाना	पुलीचिंताला	4x30	120	हाइड्रो	2009-11	2016-18	380	563.49
42	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी टांजेडको	यू-1	660	थर्मल	जन.-18	सितं.-18	9800.4	9800.4
			यू-2	660	थर्मल	मार्च-18	मार्च-19		
43	उत्तराखंड	व्यासी	2x60	120	हाइड्रो	2014-15	2018-19	936.23	-
44	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी स्टे.-II	यू-4	500	थर्मल	अक्टू.-14	सितं.-16	5340.35	5340.35
2 यूनिटों के लिए लागत									

निजी क्षेत्र									
45	अरुणाचल प्रदेश	गांगरी	2x72	144	हाइड्रो	2017-18	2019-20	1436.27	-
46	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	थर्मल	अक्टू.-13	दिसं.-17	6571.94	9343.15
			यू-2	660	थर्मल	मार्च-14	मई-18		
47	आंध्र प्रदेश	एसजीपीएल टीपीपी (एनसीसी टीपीपी)	यू-1	660	थर्मल	मार्च-15	नव.-16	7046	7046
			यू-2	660	थर्मल	जून-15	दिसं.-16		
48	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	थर्मल	मई-12	अग.-16	3120	5005
			यू-4	350	थर्मल	अग.-12	फर.-18		
49	बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीएस	यू-1	660	थर्मल	अग.-14	2019-20	11120	11120
			यू-2	660	थर्मल	दिसं.-14	2020-21		
			यू-3	660	थर्मल	अप्रै.-15	अनिश्चित		
			यू-4	660	थर्मल	अग.-15	अनिश्चित		
50	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-3	600	थर्मल	दिसं.-12	अप्रै.-17	16190	22874.48
			यू-4	600	थर्मल	अप्रै.-13	अग.-17		
			यू-5	600	थर्मल	अग.-13	दिसं.-17		
			यू-6	600	थर्मल	दिसं.-13	अप्रै.-18		
			6 यूनिटों के लिए लागत						
51	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	थर्मल	अग.-13	नव.-16	5058	7940
			यू-2	300	थर्मल	नव.-13	अप्रै.-17		
			यू-3	300	थर्मल	फर.-14	-		
			यू-4	300	थर्मल	मई-14	-		
52	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक	यू-3	660	थर्मल	जन.-13	सितं.-17	6886	10815.24
			यू-4	660	थर्मल	मार्च-13	दिसं.-17		
53	छत्तीसगढ़	सिंहहीतराई टीपीपी	यू-1	600	थर्मल	जून-14	दिसं.-16	4650	8443.79
			यू-2	600	थर्मल	सितं.-14	जून-17		
54	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी (टीआरएन एनर्जी)	यू-1	300	थर्मल	दिसं.-13	अग.-16	2844	3725.97
			यू-2	300	थर्मल	अप्रै.-14	दिसं.-16		
55	छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-3	360	थर्मल	फर.-13	सितं.-16	6653	11784.51
			यू-4	360	थर्मल	जुला.-13	दिसं.-16		
4 यूनिटों के लिए लागत									
56	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	थर्मल	सितं.-11	-	1458.44	1458.44
57	छत्तीसगढ़	देवरी टीपीपी (विसा टीपीपी)	यू-1	600	थर्मल	अग.-13	-	2618.7	3930
58	हिमाचल प्रदेश	बजोली होली	3x60	180	हाइड्रो	2017-18	2019-20	1696.93	-
59	हिमाचल प्रदेश	चंजू-I	3x12	36	हाइड्रो	2014-15	2016-17	295.09	-
60	हिमाचल प्रदेश	सोरोंग	2x50	100	हाइड्रो	2012-13	2017-18	586	-
61	हिमाचल प्रदेश	टिडोंग-I	2x50	100	हाइड्रो	2013-14	2017-18	543.15	-
62	हिमाचल प्रदेश	टंगनु रोमई-I	2x22	44	हाइड्रो	2014-15	2018-19	255	-
63	जम्मू व कश्मीर	रत्ले	4x205 + 1x30	850	हाइड्रो	2017-18	2021-22	5517.02	6257
64	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	थर्मल	मई-12	2017-18	2900	2900
			यू-2	270	थर्मल	जून-12	2018-19		
65	झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी	यू-3	270	थर्मल	फर.-13	-	3182	3182

		फेज-II								
			यू-4	270	थर्मल	मार्च-13	-			
66	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	थर्मल	जून-13	-	5700	5700	
			यू-2	600	थर्मल	जन.-15	-			
67	झारखण्ड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	थर्मल	-	-	2500	2500	
68	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	थर्मल	जुला.-14	2020-21	6646	6646	
			यू-2	270	थर्मल	सितं.-14	2021-22			
			यू-3	270	थर्मल	नवं.-14	2021-22			
			यू-4	270	थर्मल	जन.-15	2021-22			
			यू-5	270	थर्मल	मार्च-15	2021-22			
69	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	थर्मल	जन.-14	जून-17	6936	10433	
			यू-2	660	थर्मल	मई-14	सितं.-17			
70	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	थर्मल	अप्रै.-12	सितं.-16	6789	7848.98	
			यू-3	270	थर्मल	जून-12	दिसं.-16			
			यू-4	270	थर्मल	अग.-12	फर.-17			
			यू-5	270	थर्मल	अक्टू.-12	अप्रै.-17			
			5 यूनिटों के लिए लागत							
71	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	थर्मल	अप्रै.-13	-	6789	6789	
			यू-2	270	थर्मल	जून-13	-			
			यू-3	270	थर्मल	अग.-13	-			
			यू-4	270	थर्मल	अक्टू.-13	-			
			यू-5	270	थर्मल	दिसं.-13	-			
72	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	थर्मल	दिसं.-16	2018-19	3189	3450	
			यू-2	300	थर्मल	मार्च-17	2018-19			
73	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600	थर्मल	सितं.-11	अग.-16	4860	7738	
			2 यूनिटों के लिए लागत							
74	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	थर्मल	जून-13	-	3941	3941	
75	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45	थर्मल	मई-14	2017-18	232.49	250.49	
76	मध्य प्रदेश	महेश्वर	10x40	400	हाइड्रो	2001-02	2017-19	1569.27	6793	
77	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	थर्मल	दिसं.-11	दिसं.-16	3185	4001	
			2 यूनिटों के लिए लागत							
78	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	थर्मल	दिसं.-11	-	4990	6000	
			यू-2	350	थर्मल	जन.-12	-			
			यू-3	350	थर्मल	मार्च-12	-			
79	ओडिशा	लेंको बबंध टीपीपी	यू-1	660	थर्मल	अप्रै.-13	नवं.-17	6930	10430	
			यू-2	660	थर्मल	अग.-13	फर.-18			
80	ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	थर्मल	दिसं.-12	2017-18	5093	6330	
			यू-2	525	थर्मल	फर.-13	2018-19			
81	सिक्किम	भास्मे	2x25.5	51	हाइड्रो	2012-13	2019-20	408.5	690.3	
82	सिक्किम	पनन	4x75	300	हाइड्रो	2018-19	2020-21	1833.05	2021.9	
83	सिक्किम	रंगित-II	2x33	66	हाइड्रो	2017-18	2019-20	496.44	-	
84	सिक्किम	रंगित-IV	3x40	120	हाइड्रो	2011-12	2019-20	726.17	1692.6	
85	सिक्किम	रॉंगनीचू	2x48	96	हाइड्रो	2015-16	2019-20	491.32	1187	
86	सिक्किम	तीस्ता स्टेट-VI	4x125	500	हाइड्रो	2012-13	2021-22	3283.08	5400	

87	सिक्किम	ताशिडिंग	2x48.5	97	हाइड्रो	2015-16	2016-17	465.95	-
88	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	थर्मल	मई-12	2018-19	3595	3595
89	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-2	660	थर्मल	जुला.-14	सितं.-16	11622.27	13870
			यू-3	660	थर्मल	दिसं.-14	अक्टू.-16		
90	उत्तराखंड	फाटा ब्युंग	2x38	76	हाइड्रो	2013-14	2019-20	520	1225.53
91	उत्तराखंड	सिंगोली भटवारी	3x33	99	हाइड्रो	2012-13	2020-21	666.47	1577
92	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी	यू-1	150	थर्मल	मई-16	अक्टू.-16	2656	3307
			यू-2	150	थर्मल	सितं.-16	मई-17		
			यू-3	150	थर्मल	जन.-17	अग.-17		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3824

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

3824. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यमान या निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) विद्युत संयंत्रों की कुल कितनी क्षमता को सरकार द्वारा स्वीकृत करना प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार को ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार वर्तमान में कोयला विद्युत क्षमता का 94% 2022 तक अप्रयोज्य हो जाएगा और इसकी पूंजी लागत लगभग 3,23,925 करोड़ रु. होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31.11.2016 की स्थिति के अनुसार, विद्यमान विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 309 गीगावाट है जिसमें से 187,803 मेगावाट कोयला आधारित संयंत्र हैं, 25,282 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं, 919 मेगावाट डीजल विद्युत संयंत्र हैं, 5780 मेगावाट नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं, 43112 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 45917 मेगावाट है।

दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, देश में 86,910.04 मेगावाट की सकल क्षमता में से 73,728.4 मेगावाट की क्षमता की 74 ताप विद्युत परियोजनाएं और 13182 मेगावाट क्षमता की 44 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो वह

लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बगैर उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

सीईए द्वारा कुल 22925 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 41 जल विद्युत परियोजनाओं के डीपीआर की सहमति दी जा चुकी है। कुल 6559 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 10 जलविद्युत परियोजनाओं के डीपीआर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)/केंद्रीय मृदा एवं सामाग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस)/जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एसओडब्ल्यू, आरडी एवं जीआर) के विभिन्न मूल्यांकन समूहों के पास है।

(ग) और (घ) : बाह्य वित्तपोषित एजेंसियों सहित विभिन्न संगठन अपना स्वयं अध्ययन करते हैं और अपने स्वयं के आंकलन तैयार करते हैं जोकि सरकार के बाध्यकारी नहीं होते हैं। विद्युत मंत्रालय में ग्रीनपीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है। तथापि, सीईए द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार, वर्ष 2022 तक समग्र विद्युत आवश्यकता का लगभग 60% भाग कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन से पूरा होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3825

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने हेतु रूपरेखा

3825. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 10 राज्यों में चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने हेतु एक रूपरेखा तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन राज्यों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने राज्य विशिष्ट दस्तावेज, जो सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने की रूपरेखा बनाते हैं, तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है। अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 34 ने "सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत" दस्तावेज संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किए हैं। शेष दो राज्यों अर्थात तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए उसके लिए हस्ताक्षरित करने के लिए सहमति अभी प्रतीक्षित है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3825 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जिन्होंने सहमति दे दी है और सभी के लिए 24x7 विद्युत प्रदान करने के लिए, जिनके राज्य विनिर्दिष्ट दस्तावेज हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं

क्रम सं.	राज्य
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
2	आंध्र प्रदेश
3	अरुणाचल प्रदेश
4	असम
5	बिहार
6	चंडीगढ़
7	छत्तीसगढ़
8	दादरा व नागर हवेली
9	दमन व दीव
10	दिल्ली
11	गोवा
12	गुजरात
13	हरियाणा
14	हिमाचल प्रदेश
15	जम्मू व कश्मीर
16	झारखंड
17	कर्नाटक
18	केरल
19	लक्षद्वीप
20	मध्य प्रदेश
21	महाराष्ट्र
22	मणिपुर
23	मेघालय
24	मिजोरम
25	नागालैंड
26	ओडिशा
27	पुडुचेरी
28	पंजाब
29	राजस्थान
30	सिक्किम
31	तेलंगाना
32	त्रिपुरा
33	उत्तराखंड
34	पश्चिम बंगाल

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3826

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

3826. श्री राजू शेड़ी:

श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की कमी कृषि और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके ही विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए और उन संयंत्रों से उन्हें विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वर्तमान में, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 3,07,278 मेगावाट है जो विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर ऊर्जा की कमी 2013-14 के दौरान की 4.2% कमी से घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान 2.1% रह गई है जो पिछले दो दशकों में सबसे कम थी। चालू वर्ष 2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक) के दौरान ऊर्जा कमी और घटकर 0.7% रह गई है।

(ग) : देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 88,928.2 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की

- गई तथा 30 सितम्बर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21,128 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।
 - (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन की तुलना में 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी की गई है।
 - (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
 - (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
 - (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
 - (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
 - (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
 - (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना शुरु की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3842

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है।

राज्यों को विद्युत का आवंटन

3842. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्यों ने पारेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से अधिक विद्युत आवंटन की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में विभिन्न राज्यों को आवंटित विद्युत आवंटन का ब्यौरा क्या है और उक्त आवंटन उनके कुल संबंधित क्षमताओं का कितना प्रतिशत है;
- (घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल से राज्यों को बढ़े हुए विद्युत आवंटन के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : इस वर्ष के दौरान किसी भी राज्य से न तो केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से अधिक विद्युत के आवंटन अथवा न ही पारेषण क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) : विभिन्न राज्यों को वर्तमान विद्युत आवंटन (निश्चित) तथा उक्त आवंटन में उनकी संबंधित उन क्षमताओं की प्रतिशतता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। केंद्रीय उत्पादन संयंत्रों की समग्र क्षमता किसी भी समय पूर्णतः राज्यों/लाभार्थियों को आवंटित की जाती है। इस प्रकार केवल उन मामलों को छोड़कर, जिनमें राज्यों ने अपना हिस्सा वापस कर दिया है, कहीं पर भी मौजूदा विद्युत संयंत्रों से राज्यों के लिए किसी बढ़े हुए आवंटन की कोई संभावना नहीं है।

किसी राज्य द्वारा आवंटन वापस किए जाने की स्थिति में, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा उन राज्यों के बीच इसका आवंटन किया जाता है, जो संबंधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों के अनुसार विद्युत की मांग करते हैं। आज की तिथि के अनुसार, विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से लगभग 4500 मेगावाट विद्युत अभ्यर्पित की गई है तथा इस विद्युत का उपयोग करने के लिए राज्यों के अनुरोध को सभी राज्यों को भेज दिया गया है तथा इस अनुरोध के साथ कि इच्छुक राज्य ऐसी विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पत्र भी पोस्ट किया गया है। आज की तिथि के अनुसार, इच्छुक राज्यों को पुनः आवंटन के लिए विद्युत मंत्रालय में कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3842 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	राज्य में संस्थापित क्षमता*	केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से कुल मेगावाट हिस्सा	राज्य में संस्थापित क्षमता के % के रूप में सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)*100
1	चंडीगढ़	126	119	94.6
2	दिल्ली	8042	5514	68.6
3	हरियाणा	8511	2457	28.9
4	हिमाचल प्रदेश	4608	1537	33.4
5	जम्मू व कश्मीर	3142	1580	50.3
6	पंजाब	12987	2054	15.8
7	राजस्थान	18083	2550	14.1
8	उत्तर प्रदेश	19959	5456	27.3
9	उत्तराखंड	3494	861	24.7
10	छत्तीसगढ़	16404	1622	9.9
11	गुजरात	30325	3872	12.8
12	मध्य प्रदेश	18937	4540	24.0
13	महाराष्ट्र	39984	7026	17.6
14	दमन व दीव	59	55	93.2
15	दादरा व नागर हवेली	90	90	100.0
16	गोवा	412	364	88.4
17	आंध्र प्रदेश	16247	1600	9.9
18	कर्नाटक	17684	2104	11.9
19	केरल	4104	1627	39.6
20	तमिलनाडु	26601	5142	19.3
21	तेलंगाना	11731	1871	15.9
22	पुडुचेरी	335	302	90.3
23	बिहार	3075	2661	86.5
24	झारखंड	2626	386	14.7
25	ओडिशा	9422	1788	19.0
26	पश्चिम बंगाल	10077	1354	13.4
27	सिक्किम	414	167	40.4
28	अरुणाचल प्रदेश	262	157	59.9
29	असम	1387	892	64.3
30	मणिपुर	210	168	80.2
31	मेघालय	515	202	39.2
32	मिजोरम	127	85	67.2
33	नागालैंड	144	113	78.6
34	त्रिपुरा	611	420	68.8

* यह संयुक्त और केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटीयों में शामिल आबंटित हिस्सा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3856

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र हेतु विकास योजनाएं

3856. श्री आर. पी. मरुदराजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित, जारी और उपयोग राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल धनराशि कितनी है;
- (ग) ग्रामीण और शहरी एससी/एसटी और अन्य प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कितने परिवार बिना विद्युत सुविधा के रह रहे हैं; और
- (घ) गत दो वर्षों के दौरान चालू वर्ष सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने गांव विद्युत सुविधा से जोड़े गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में शुरू की गई विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत है :

- (i) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) : इसमें (क) जनसंख्या का लिहाज किए बिना सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों के विद्युतीकरण, (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की उचित रोस्ट्रिंग को सुगम बनाते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण; (ग) वितरण ट्रांसफार्मरों फीडरों/उपभोक्ताओं पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं विकास की व्यवस्था है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 66167.28 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 13017.05 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।
- (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) : आईपीडीएस, शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापरक एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाएगा। आईपीडीएस के मुख्य घटक हैं (क) शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण; (ख) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; (ग) वितरण क्षेत्र की आईटीयुक्त बनाने तथा पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास

एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), जोकि अब आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है, के अंतर्गत किए जा रहे वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण। आईपीडीएस के अंतर्गत, तमिलनाडु सहित 30 राज्यों के लिए 25,880 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी और आईपीडीएस के अंतर्गत दी गई स्वीकृतियों और किए गए वितरणों से संबंधित ब्योरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(iii) विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय निर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) के सुदृढीकरण, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का योगदान, नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के कार्यान्वयन द्वारा राज्यों के साथ कार्य कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्योरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(iv) भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कमों) के वित्तीय और प्रचालन टर्नअराउण्ड के लिए उज्ज्वल डिस्काम आश्वासन योजना (उदय) की शुरुआत की। इस स्कीम का उद्देश्य ब्याज के भार को कम करना, विद्युत की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में विद्युत की हानियों को कम करना और डिस्कामों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है। उदय के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से कोई वित्तीय कठिनाई नहीं हुई है।

तमिलनाडु उदय स्कीम के अंतर्गत भाग ले रहा है।

(v) एलईडी कार्यक्रम के दो घटक हैं अर्थात, i) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए सभी के लिए सस्ती एलईडी उन्नत ज्योति (उजाला) और परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) हैं। एलईडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारत सरकार से किसी बजटीय आबंटन के बिना एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जोकि विद्युत क्षेत्र के 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पीजीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ परिवार थे और 7.50 करोड़ परिवार गैर-विद्युतीकृत थे। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, 31.10.2016 तक 2.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए गए हैं। एपीएल परिवारों से उनके मानकों के अनुसार लागू कनेक्शन शुल्क का भुगतान करके संबंधित राज्य डिस्काम/विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिजली से न जुड़े ग्रामीण परिवारों की राज्य-वार संख्या तथा गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई (डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक सहित) के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या **अनुबंध-IV** में दी गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि (30.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	
		संस्वीकृत परियोजना लागत	जारी की गई/उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	993.34	131.32
2	अंडमान व निकोबार	20.96	119.66
3	अरुणाचल प्रदेश	418.93	9.14
4	असम	3161.88	573.59
5	बिहार	11077.01	3544.63
6	छत्तीसगढ़	1837.76	497.26
7	दादरा व नागर हवेली	5.00	0.00
8	गोवा	20.00	0.00
9	गुजरात	924.72	77.69
10	हरियाणा	1577.31	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	159.12	28.35
12	जम्मू व कश्मीर	720.96	35.09
13	झारखंड	3906.15	322.38
14	कर्नाटक	1897.62	138.36
15	केरल	490.68	112.77
16	मध्य प्रदेश	4374.07	1005.01
17	महाराष्ट्र	2163.44	66.20
18	मणिपुर	259.70	124.50
19	मेघालय	304.47	18.13
20	मिजोरम	107.46	60.47
21	नागालैंड	134.69	62.65
22	ओडिशा	5303.97	951.98
23	पुडुचेरी	20.15	0.00
24	पंजाब	252.06	0.00
25	राजस्थान	4292.23	384.03
26	सिक्किम	20.10	16.29
27	तमिलनाडु	924.12	88.40
28	तेलंगाना	462.30	15.69
29	त्रिपुरा	390.35	107.71
30	उत्तर प्रदेश	14229.73	3888.13
31	उत्तराखंड	845.30	73.97
32	पश्चिम बंगाल	4871.71	563.65

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि	
			संस्वीकृत परियोजना लागत	जारी की गई/उपयोग की गई निधियां
1	हरियाणा	आर-एपीडीआरपी	794	91
		आईपीडीएस	391	24
2	हिमाचल प्रदेश	आर-एपीडीआरपी	शून्य	97
		आईपीडीएस	111	9
3	जम्मू व कश्मीर	आर-एपीडीआरपी	शून्य	35
		आईपीडीएस	447	शून्य
4	पंजाब	आर-एपीडीआरपी	123	48
		आईपीडीएस	326	20
5	राजस्थान	आर-एपीडीआरपी	110	56
		आईपीडीएस	1310	79
6	उत्तर प्रदेश	आर-एपीडीआरपी	1946	753
		आईपीडीएस	4722	327
7	उत्तराखंड	आर-एपीडीआरपी	6	108
		आईपीडीएस	192	16
8	दिल्ली	आर-एपीडीआरपी		
		आईपीडीएस	198	शून्य
9	मध्य प्रदेश	आर-एपीडीआरपी	शून्य	87
		आईपीडीएस	1509	91
10	गुजरात	आर-एपीडीआरपी	170	86
		आईपीडीएस	1127	68
11	छत्तीसगढ़	आर-एपीडीआरपी	शून्य	70
		आईपीडीएस	492	30
12	महाराष्ट्र	आर-एपीडीआरपी	शून्य	शून्य
		आईपीडीएस	2417	139
13	गोवा	आर-एपीडीआरपी	शून्य	शून्य
		आईपीडीएस	शून्य	शून्य
14	आंध्र प्रदेश	आर-एपीडीआरपी	158	77
		आईपीडीएस	654	39
15	तेलंगाना	आर-एपीडीआरपी	27	83
		आईपीडीएस	654	39
16	कर्नाटक	आर-एपीडीआरपी	8	160
		आईपीडीएस	1144	69

17	केरल	आर-एपीडीआरपी	शून्य	40
		आईपीडीएस	600	36
18	तमिलनाडु	आर-एपीडीआरपी	655	शून्य
		आईपीडीएस	1569	शून्य
19	पुडुचेरी	आर-एपीडीआरपी	शून्य	17
		आईपीडीएस	22	शून्य
20	बिहार	आर-एपीडीआरपी	शून्य	97
		आईपीडीएस	2111	127
21	झारखंड	आर-एपीडीआरपी	1252	28
		आईपीडीएस	735	शून्य
22	पश्चिम बंगाल	आर-एपीडीआरपी	126	22
		आईपीडीएस	2940	177
23	ओडिशा	आर-एपीडीआरपी	423	79
		आईपीडीएस	1083	65
24	असम	आर-एपीडीआरपी	शून्य	127
		आईपीडीएस	585	50
25	अरुणाचल प्रदेश	आर-एपीडीआरपी	शून्य	शून्य
		आईपीडीएस	151	शून्य
26	नागालैंड	आर-एपीडीआरपी	शून्य	2
		आईपीडीएस	44	शून्य
27	मणिपुर	आर-एपीडीआरपी	शून्य	139
		आईपीडीएस	130	11
28	मेघालय	आर-एपीडीआरपी	160	48
		आईपीडीएस	62	शून्य
29	मिजोरम	आर-एपीडीआरपी	240	72
		आईपीडीएस	49	शून्य
30	सिक्किम	आर-एपीडीआरपी	शून्य	20
		आईपीडीएस	शून्य	शून्य
31	त्रिपुरा	आर-एपीडीआरपी	शून्य	61
		आईपीडीएस	74	6

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ऊर्जा दक्षता/संरक्षण स्कीमों के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई कुल राशि									
क्रम सं.	राज्य	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
		संस्वीकृत	जारी की गई	संस्वीकृत	जारी की गई	संस्वीकृत	जारी की गई	संस्वीकृत	जारी की गई
1	अंडमान व निकोबार	56.84	56.84	0.00	0.00	23.27	23.27	9.00	
2	लक्षद्वीप	80.84	80.84	0.00	0.00	3.75	3.75	17.00	
3	पुडुचेरी	45.71	45.71	8.00	8.00	17.75	17.75	35.00	
4	चंडीगढ़	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
5	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	9.0	
6	दमन व दीव	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.0	62.0	
7	दिल्ली	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	
8	गोवा	310.84	310.84	8.00	8.00	17.75	17.75	52.00	
9	सिक्किम	23.00	23.00	8.00	8.00	18.00	18.00	44.00	
10	असम	29.00	29.00	32.00	32.00	259.00	259.00	128.00	
11	अरुणाचल प्रदेश	67.41	67.41	26.00	26.00	39.00	39.00	65.00	
12	नागालैंड	48.16	48.16	26.00	26.00	64.00	64.00	245.00	200.00
13	मणिपुर	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
14	मिजोरम	42.41	42.41	57.00	57.00	39.00	39.00	260.00	200.00
15	त्रिपुरा	46.41	46.41	32.00	32.00	39.00	39.0	70.0	
16	मेघालय	36.41	36.41	32.00	32.00	59.00	59.00	294.00	
17	आंध्र प्रदेश	118.00	118.00	0.00	0.00	81.00	81.00	183.00	
18	बिहार	181.14	181.14	0.00	0.00	51.00	51.000	128.000	
19	छत्तीसगढ़	186.89	186.89	38.00	38.00	41.00	41.00	78.00	
20	गुजरात	444.79	444.79	8.00	8.00	21.00	21.00	71.00	
21	हरियाणा	158.60	158.60	32.00	32.00	41.00	41.00	127.00	
22	झारखंड	37.00	37.00	0.00	0.00	21.00	21.000	43.500	
23	कर्नाटक	37.00	37.00	39.00	39.00	51.00	51.0	89.0	
24	केरल	67.91	67.91	32.00	32.00	31.00	31.00	79.00	
25	मध्य प्रदेश	186.26	186.26	26.00	26.00	61.00	61.000	145.000	
26	महाराष्ट्र	276.26	276.26	38.00	38.00	23.00	23.00	42.00	
27	ओडिशा	68.66	68.66	8.00	8.00	41.00	41.000	79.000	
28	पंजाब	103.91	103.91	69.00	69.00	51.00	51.000	71.800	
29	राजस्थान	103.91	103.91	0.00	0.00	51.00	51.00	101.00	
30	तमिलनाडु	59.66	59.66	0.00	0.00	51.00	51.00	122.00	
31	उत्तर प्रदेश	361.39	361.39	0.00	0.00	261.00	261.00	142.00	
32	उत्तराखंड	53.41	53.41	8.00	8.00	241.00	241.00	77.00	
33	पश्चिम बंगाल	58.66	58.66	8.00	8.00	51.00	51.00	157.00	
34	हिमाचल प्रदेश	133.79	133.79	39.00	39.00	26.00	26.00	80.00	
35	जम्मू व कश्मीर	293.79	293.79	0.00	0.00	16.00	16.00	59.00	
	कुल	4113.78	4113.78	574.00	574.00	1790.52	1790.52	3296.30	400.00

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3856 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष सहित पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत की सुविधा के बिना वाले परिवारों की संख्या और विद्युत की सुविधा से जोड़े गए गांवों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार विद्युत की सुविधा के बिना वाले परिवारों की संख्या (करोड़ में)	पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान विद्युत की सुविधा से जोड़े गए गांवों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार	0.00	00
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	0.15	00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	452
4	असम	0.39	1921
5	बिहार	1.52	2353
6	चंडीगढ़	0.00	00
7	छत्तीसगढ़	0.13	588
8	दादरा व नागर हवेली	0.00	00
9	दमन व दीव	0.00	00
10	गोवा	0.00	00
11	गुजरात	0.10	00
12	हरियाणा	0.04	00
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	34
14	जम्मू व कश्मीर	0.03	41
15	झारखंड	0.32	1440
16	कर्नाटक	0.10	07
17	केरल	0.03	00
18	लक्षद्वीप	0.00	00
19	मध्य प्रदेश	0.46	433
20	महाराष्ट्र	0.34	00
21	मणिपुर	0.01	304
22	मेघालय	0.02	701
23	मिजोरम	0.00	85
24	नागालैंड	0.01	32
25	एनसीटी दिल्ली	0.00	00
26	ओडिशा	0.52	1701
27	पुडुचेरी	0.00	00
28	पंजाब	0.01	00
29	राजस्थान	0.40	416
30	सिक्किम	0.00	00
31	तमिलनाडु	0.09	00
32	त्रिपुरा	0.02	15
33	उत्तर प्रदेश	1.94	1495
34	उत्तराखंड	0.02	7
35	पश्चिम बंगाल	0.82	8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3864

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

3864. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पनबिजली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार विद्युत क्षेत्रक में विदेशी एजेंसियों की सहायता से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विद्युत उत्पादन बढ़ाने तथा इस उद्देश्य हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) पारेषण क्षति कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना शुरू करने का है तथा यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार 25 मेगावाट संस्थापित क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) : जहाँ तक जल विद्युत क्षेत्र का संबंध में, पूरलिया पम्पड स्टोरेज (1000 मेगावाट), नाथपा झाखरी (1500 मेगावाट), विष्णुगाढ़ पीपलकोटी (444 मेगावाट) आदि जैसी कई परियोजनाएं विश्व बैंक, एडीबी (एशियन विकास बैंक) जेआईसीए (जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी) आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की

वित्तीय सहायता से विकसित की गई हैं/विकसित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच सहयोग के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, एफडब्ल्यू जर्मनी अंतरा और अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं में हरित ऊर्जा कारीगरों के वित्तपोषण के लिए 1 बिलियन यूरो का सरल ऋण प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (एनईआरपीएसआईपी) ट्रेंच" के लिए निवेश अनुमोदन सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों (असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा) में पारेषण एवं वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया था। स्कीम की अनुमानित लागत 5111.33 करोड़ रुपए (फरवरी, 2014 मूल्य स्तर) रुपए है। इस स्कीम को 50:50 के अनुपात में विद्युत मंत्रालय के बजट और विश्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

(ग) : अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्तमान में देश में 13182 मेगावाट की औसत क्षमता वाली 44 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) स्कीम राज्यों द्वारा अनिवार्य फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) मीटरिंग, हानियों की उपभोक्ता इंडेक्सिंग और जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मरों का अपग्रेड और बदलना, टाइमलाइन सहित मीटरों आदि जैसी लक्षित गतिविधियाँ विनिर्दिष्ट करनी हैं। 200 यूनिट/माह से अधिक का उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, माँग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) त्रैमासिक प्रशुल्क संशोधन, बिजली की चोरी को रोकने के लिए अभियान, कम एटी एंड सी हानि वाले क्षेत्रों में आश्वस्त वृद्धि विद्युत आपूर्ति आदि समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) को कम करने के कुछ अतिरिक्त उपाय हैं।

भारत सरकार ने देश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2022 के अंत तक 175 जीडब्ल्यू की कुल नवीकरणीय क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सौर से 100 जीडब्ल्यू, पवन से 60 जीडब्ल्यू, बायोमास से 10 जीडब्ल्यू और लघु जल विद्युत क्षमता से 5 जीडब्ल्यू शामिल है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.01.2016 को अधिसूचित संशोधित प्रशुल्क नीति ने नवीकरणीय विद्युत दायित्व, नवीकरणीय उत्पादन दायित्व, थर्मल संयंत्रों की विद्युत के साथ नवीकरणीय विद्युत की बंडलिंग करके, वितरण कंपनियों द्वारा राज्य में कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले सभी संयंत्रों से उत्पादित 100% विद्युत की अनिवार्य अधिप्राप्ति और भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अवधि तक नवीकरणीय विद्युत (सौर/पवन) के लिए न लगाए जाने वाले अंतरराज्यी पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शुरुआत द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बल दिया है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3864 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सरकार एसएचपी सेक्टर को विकसित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान कर रही है:-

- अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण
- संसाधन मुल्यांकन, विस्तृत सर्वेक्षण एवं जाँच, डीपीआर तैयारी तथा राज्यों के लिए परिवहन योजनाएं,
- राज्य क्षेत्र परियोजना के लिए पूँजी सब्सिडी
- वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए सब्सिडी
- पुरानी एसएचपी परियोजनाओं (राज्य क्षेत्र) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- जल मिलें/माइक्रो-हाइडल परियोजनाएं, ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

एसएचपी परियोजनाओं को सब्सिडी

एसएचपी परियोजनाओं के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा निम्नलिखित सब्सिडियाँ दी जाती हैं :-

(i) नए संभाव्य स्थलों के चिन्हीकरण के लिए सर्वेक्षण, जाँच एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए सहायता

- 1.00 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजना के लिए 6.00 लाख रुपए,
- सरकारी विभाग/एजेंसियों को 1 मेगावाट से अधिक तथा 25 मेगावाट तक की परियोजना के लिए 10 लाख रुपए।

(ii) निजी, सहकारी, संयुक्त क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाओं को सहायता :

श्रेणी	0.1 मेगावाट - 25 मेगावाट
पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड (विशेष श्रेणी राज्य)	5 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक 1.5 करोड़ रुपए/मेगावाट।
अन्य राज्य	5 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक 1.00 करोड़ रुपए/मेगावाट।

(iii) सरकारी/राज्य क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजना को सहायता ।

क्षेत्र	100 केडब्ल्यू तक तथा 100 केडब्ल्यू तक	1 मेगावाट से अधिक तथा 25 मेगावाट तक
पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड (विशेष श्रेणी राज्य)	75000 रुपए प्रति केडब्ल्यू	20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक 7.5 करोड़ रुपए/मेगावाट
अन्य राज्य	35000 रुपए प्रति केडब्ल्यू	20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक 3.5 करोड़ रुपए/मेगावाट

- (iv) सरकारी/राज्य क्षेत्र में पुरानी एसएचपी परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की सहायता के लिए स्कीम :

श्रेणी	100 केडब्ल्यू तक	1 मेगावाट से अधिक तथा 25 मेगावाट तक
सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	10000 रुपए प्रति केडब्ल्यू	10.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक 1.00 करोड़ रुपए/मेगावाट

- (v) वाटरमिल्स और माइक्रो हाइडल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता :

(क) वाटरमिल्स :

क्रम सं.	वाटरमिल की श्रेणी	सीएफए की राशि
1.	केवल मैकेनिकल आउटपुट	50000/-रुपए प्रति वाटरमिल
2.	(क) इलैक्टिकल आउटपुट (5 केडब्ल्यू तक) या (ख) मैकेनिकल और इलैक्टिकल आउटपुट दोनों (5 केडब्ल्यू तक)	10000/-रुपए प्रति वाटरमिल

(ख) 100 केडब्ल्यू क्षमता तक माइक्रो हाइडल परियोजनाएं :-

क्षेत्र	सीएफए की राशि
सभी राज्य	1,25,000/-रुपए प्रति केडब्ल्यू

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3864 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - क्षेत्र-वार

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र		
1	किशनगंगा (3x110= 330 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर/एनएचपीसी	330
2	पारबती स्टे.-II (4x200= 800 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800
3	तपोवन विष्णुगाड (4x130=520 मेगावाट)	उत्तराखंड/एनटीपीसी	520
4	टिहरी पीएसएस (4x250= 1000 मेगावाट)	उत्तराखंड/टीएचडीसी	1000
5	लता तपोवन (3x57= 171 मेगावाट)	उत्तराखंड/एनटीपीसी	171
6	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111= 444 मेगावाट)	उत्तराखंड/टीएचडीसी	444
7	सुबानसिरी लोअर (8x250= 2000 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000
8	कामेंग (4x150= 600 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600
9	पारे (2x55= 110 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	110
10	तुरियल (2x30= 60 मेगावाट)	मिजोरम/नीपको	60
11	रम्माम-III (3x40=120 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल/एनटीपीसी लि.	120
		उप-जोड़ (केंद्रीय):	6155
	राज्य क्षेत्र		
12	शाहपुरकांडी (3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट)	पंजाब/इंर. विभाग और पीएसपीसीएल	206
13	उहल-III (3x33.33= 100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपो. लि. (बीवीपीसी)	100
14	कशांग-II व III (1x65 + 1x65= 130 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	65
15	सैंज (2X50=100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	100
16	स्वारा कुड्डू (3x37= 111 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	111
17	शोंगटोंग करछम (3x150= 450 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	450
18	व्यासी (2X60=120 मेगावाट)	उत्तराखंड/यूजेवीएनएल	120
19	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस (2x40= 80 मेगावाट)	महाराष्ट्र/डब्ल्यूआरडी, जीओ महा.	80
20	नागार्जुन सागर टीआर (2x25= 50 मेगावाट)	आंध्र प्रदेश/एपजेंको	50
21	पोलावरम (12x80= 960 मेगावाट)	आंध्र प्रदेश/पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी	960
22	पुलीचिंताला (4x30= 120 मेगावाट)	तेलंगाना/टीएसजेंको	90

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
23	पल्लीवसल (2x30= 60 मेगावाट)	केरल/केएसईबी	60
24	थोटियार (1x30 + 1x10= 40 मेगावाट)	केरल/केएसईबी	40
25	न्यू उमतरू (2x20= 40 मेगावाट)	मेघालय/एमईपीजीसीएल	40
26	तीस्ता-III (6x200= 1200 मेगावाट)	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	1200
		उप-जोड़ (राज्य):	3672
	निजी क्षेत्र		
27	रत्ले (4x205+1x30= 850 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर/रत्ले जल विद्युत परियोजना प्रा. लि.	850
28	सोरांग (2x50= 100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पावर	100
29	टंगु रोमई-I (2x22= 44 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/टंगु रोमई पावर जनरेशन	44
30	बजोली होली (3x60= 180 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/जेएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	180
31	चंजु-I (3x12= 36 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/आईए एनर्जी	36
32	टिडोंग-I (2x50= 100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश/मैसर्स एनएसएल टिडोंग	100
33	फाटा ब्युंग (2x38= 76 मेगावाट)	उत्तराखंड/मैसर्स लैंको	76
34	सिंगोली भटवारी (3x33= 99 मेगावाट)	उत्तराखंड/एलएंडटी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	99
35	महेश्वर (10x40= 400 मेगावाट)	मध्य प्रदेश/एसएमएचपीसीएल	400
36	तीस्ता-VI (4x125= 500 मेगावाट)	सिक्किम लैंको	500
37	रंगित-IV (3x40= 120 मेगावाट)	सिक्किम/जल पावर कारपो. लि.	120
38	भास्मे (2x25.5= 51 मेगावाट)	सिक्किम/गति इंफ्रास्ट्रक्चर	51
39	ताशिडिंग (2x48.5= 97 मेगावाट)	सिक्किम/शींगा एनर्जी प्रा. लि.	97
40	दिक्चू (2x48= 96 मेगावाट)	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	96
41	रंगित-II (2x33= 66 मेगावाट)	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66
42	रौंगनीचू (2x48= 96 मेगावाट)	सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	96
43	पनन (4x75= 300 मेगावाट)	सिक्किम/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300
44	गोंगरी (2x72= 144 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश/दिरान एनर्जी प्रा. लि.	144
		उप-जोड़ (निजी):	3355
		कुल (केंद्रीय + राज्य + निजी)	13182

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3870

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र का बैंक के एन.पी.ए. में हिस्सा

3870. श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बैंकों के एनपीए में दिसम्बर, 2015 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षेत्रक की हिस्सेदारी 12.39 प्रतिशत थी जो कि जून 2016 में बढ़ गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जून 2016 में उक्त वृद्धि का प्रतिशत क्या था;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने एनपीए में विद्युत क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ने के कारणों का पता लगाया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी नहीं, दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, निर्धारित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में विद्युत उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा 4.54% था, जो नीचे दर्शाए गए अनुसार जून, 2016 में घटकर 4.38% रह गया:

(रुपए करोड़ में)

की स्थिति के अनुसार अवधि	सकल एनपीए	विद्युत उत्पादन जीएनपीए	सकल एनपीए में विद्युत उत्पादन का हिस्सा-जीएनपीए (% में)
31 दिसंबर, 2015	4,36,883	19,831	4.54
30 जून, 2016	6,15,429	26,967	4.38

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी की गई वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (जून, 2015) में विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित के अनुसार कुछ प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है:

- ईंधन उपलब्धता/लिकेज
- परियोजना स्वीकृतियां
- सामाजिक सक्रियतावाद
- विद्युत उत्पादकों द्वारा कोयला ब्लॉक नीलामियों में बढ़ा-चढ़ाकर बोली लगाने के परिणामस्वरूप लोअर संयंत्र भार घटक (पीएलएफ)
- आयातित कोयले पर निर्भरता, जो अधिक महंगी है।
- राज्य डिस्कॉमों की खराब वित्तीय स्थिति।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3873
जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा उपभोग

3873. श्री शिवकुमार उदासि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा उपभोग की वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऊर्जा उपभोग में वृद्धि को आर्थिक पुनरुद्धार का सूचक माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरण पर इसके क्या विपरीत प्रभाव हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऊर्जा खपत की वृद्धि दर (यूटिलिटी एवं गैर-यूटिलिटी) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : सामान्यतः ऊर्जा खपत में वृद्धि आर्थिक वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी होती है।

अकुशल कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- (i) सरकार ने वर्ष 2022 तक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 जीडब्ल्यू की बड़ी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे हमारे देश के ऊर्जा-मिश्रण में स्वच्छ, प्रदूषण-रहित ऊर्जा के हिस्से की वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, आगामी वर्षों में जीवाश्म आधारित क्षमता अभिवृद्धि में कमी आएगी।
- (ii) सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित कोयला प्रज्वलित उत्पादन इकाइयों की संस्थापना। ये इकाइयां सब-क्रिटिकल इकाइयों से अधिक दक्ष होती हैं जिसके फलस्वरूप कम ईंधन खपत तथा कम वायु

उत्सर्जन होता है। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 36,930 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की जा चुकी है तथा 48,200 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल ताप इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि 13वीं योजना अवधि के दौरान कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि मुख्य रूप से सुपर क्रिटिकल इकाइयों के माध्यम से की जाए।

- (iii) अकुशल तथा पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाना शुरू किया गया है। 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, लगभग 6010 मेगावाट की क्षमता पहले ही हटाई जा चुकी है।
- (iv) राज्य यूटिलिटीयों/आईपीपी को पुरानी अकुशल कोयला आधारित ताप विद्युत इकाइयां सुपरक्रिटिकल इकाइयों से बदलने में सहायता करने के लिए, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने एलएओ/कोयला लिंकेज (पुराने संयंत्रों को दिए गए) का स्वतः अंतरण नई (प्रस्तावित) सुपरक्रिटिकल इकाइयों को करने की नीति तैयार कर ली है।
- (v) स्वच्छ विद्युत उत्पादन बढ़ोत्तरी में प्रयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) में वृद्धि किए जाने के लिए कोयला उपकर 200 रुपए/टन से बढ़ाकर 400 रुपए/टन कर दिया गया है।
- (vi) ताप विद्युत इकाइयों की विशिष्ट ऊर्जा खपत को घटाने के लिए वर्ष 2012 में निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम प्रारंभ की गई। इस स्कीम के परिणामस्वरूप इकाई ताप दर में सुधार हुआ है और इससे उत्सर्जन में कमी आई है।
- (vii) ताप विद्युत संयंत्रों को वनरोपण करने, हरित-पट्टी क्षेत्र का विकास करने, पुनःचक्रण के लिए गुणवत्ता बनाए रखने/संयंत्र के अंदर बागवानी में प्रयोग किए जाने के लिए तथा कीलिंग टावर से निकलने वाले जल और सागर/नदी/झील में प्रवाहित होने वाले जल के तापमान का अंतर 7 डिग्री सेल्सियस से कम रखने, ताकि मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, के लिए कहा जा चुका है।
- (viii) नए ताप विद्युत संयंत्रों को शून्य तरल निःस्सरण (जैडएलडी) रखने के लिए अधिदेशित किया जा चुका है ताकि पारिस्थितिकी पर कम प्रतिकूल प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।
- (ix) आवासीय क्षेत्र/टाउनशिप के मल-जल/अपशिष्ट जल के शोधन के लिए, ताप संयंत्रों में मल-जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किया जाता है। इस में से निकले शोधित जल का प्रयोग संयंत्र बाउंड्री के अंदर बागवानी में किया जाता है।
- (x) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निलंबित विविक्त पदार्थ (एसपीएम), SO₂, NO_x तथा पारा उत्सर्जन एवं जल खपत हेतु नए सख्त पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के कार्यान्वयन से, ताप विद्युत संयंत्रों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव में और अधिक कमी आएगी।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3873 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा खपत (यूटिलिटी और गैर-यूटिलिटी) की वृद्धि दर का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा खपत (मिलियन यूनिट)	वृद्धि (%)
2011-12	785194.52	-
2012-13	824301.17	4.98
2013-14	874208.58	6.05
2014-15	948521.82	8.50
2015-16	996271.71*	5.03*
स्रोत - सामान्य समीक्षा	* अनंतिम	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3874

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

3874. श्री शेर सिंह गुबाया:

प्रो. चिंतामणि मालवीय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्तमान में बंद पड़े नौ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को पुनः आरंभ करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता इकाई की दृष्टि से कितनी है; और
- (घ) इन संयंत्रों से उपभोक्ताओं हेतु कितनी प्रति इकाई दर पर विद्युत को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लक्षित संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का आयात करने की योजना की संस्वीकृति दी है। इस योजना में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संयंत्रों का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है। इस योजना में इन उद्देश्यों के लिए आयात की जा रही वृद्धिशील आरएलएनजी से संबंधित लागू होने वाले करों एवं लेवी/करों से छूट के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों सहित, सभी पणधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले परित्यागों की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादित विद्युत डिस्कॉमों के लिए निवल प्रशुल्क एसजीपी (स्ट्रैंडिड गैस संयंत्र) के लिए 4.70 रुपए प्रति यूनिट और डीजीपी (घरेलू गैस संयंत्र) के लिए 3.39 रुपए प्रति यूनिट के लक्ष्य मूल्य से अधिक नहीं होता।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3874 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टैंडिड गैस आधारित क्षमता की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
केंद्रीय क्षेत्र			
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र
	कुल (सीएस)	1967	
राज्य क्षेत्र			
2	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
3	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
4	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
5	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात
6	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात
7	हजीरा सीसीपीपी एकसटें.	351	गुजरात
	कुल (एसएस)	2665.3	
	कुल (सार्वजनिक)	4632.3	
निजी क्षेत्र			
1	वटवा सीसीपीपी (टोरेट)	100	गुजरात
2	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
3	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात
4	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
5	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
6	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
7	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
8	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश
9	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
10	कोंडापल्ली एकसटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
12	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
13	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
14	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश
15	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
16	जीएमआर वेमागिरी एकसटें.	768	आंध्र प्रदेश
17	कोंडापल्ली एकसटें. स्टे.-III	742	आंध्र प्रदेश
18	समलकोट एकसटें.	2400	आंध्र प्रदेश
19	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश
20	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	तेलंगाना
21	काशीपुर श्रावन्थी स्टेज-I व II	450	उत्तराखंड
22	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखंड
23	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	225	उत्तराखंड
24	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र
	कुल (निजी)	9673	
	कुल	14305.3	

- कृपया नोट करें कि 515 मेगावाट की कुल क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति ग्रिड को की जा रही है तथा शेष 215 मेगावाट का प्रयोग कैप्टिव उत्पादन के रूप में किया जा रहा है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद, सीसीपीपी	431.59	हरियाणा
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान
3	एनटीपीसी, औरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात
	कुल (सीएस)	3657.65	
7	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली
8	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
9	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली
10	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान
11	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.42	गुजरात
12	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात
13	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	144	गुजरात
14	उरन सीसीपीपी (महाजैनको)	672	महाराष्ट्र
	कुल (एसएस)	2758.92	
	कुल (सार्वजनिक)	6416.57	
1	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र
2	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात
3	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश
4	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	235.4	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	350	आंध्र प्रदेश
6	पेड्डापुलम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश
7	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश
8	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात
9	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात
	कुल (निजी)	3427.9	
	सकल योग	9844.47	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3890

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

यूडीएवाई

3890. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

प्रो. चिंतामणि मालवीय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2019 तक प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के हानि रहित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटे में चल रहे विद्युत वितरण कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने की संभावना है;
- (ग) क्या कुछ राज्यों ने उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) को अपनाया है और यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं, उन्हें क्या परिणाम मिला है;
- (घ) यूडीएवाई के अंतर्गत अन्य राज्यों को लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और
- (ङ) राज्य डिस्कॉम द्वारा कितना प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया है और विद्युत क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है। प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिक से अधिक वर्ष 2019-20 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीए) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच अंतर को कम करके शून्य करने के लिए उदय के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है।

(ख) : इस स्कीम का उद्देश्य उपार्यों द्वारा ब्याज लागतों को कम करना, विद्युत की लागतों को कम करना और डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता को सुधारना है जिसमें 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम ऋणों के 75% को राज्यों द्वारा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला स्वैप, कोयला लिकेज रेशनलाइजेशन, धुले हुए कोयले की आपूर्ति इत्यादि, मांग पक्ष प्रबंधन, फीडर मीटरिंग, पृथक्करण इत्यादि सुधार शामिल हैं।

(ग) और (घ) : उदय के अंतर्गत अब तक, भारत सरकार के साथ सोलह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र (पुडुच्चेरी)) ने समझौता जापन हस्ताक्षरित किए हैं। सहभागी राज्यों ने उदय के अंतर्गत 1,82,204.29 करोड़ रुपये के बॉण्ड जारी किए हैं और इस प्रकार ब्याज लागत में कमी पहले ही आरंभ हो गई है। विद्युत उत्पादन की लागत में भी गिरावट का रुख है।

उदय राज्यों को अपने डिस्कॉमों के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउंड प्राप्त करने के लिए शामिल होने हेतु एक वैकल्पिक स्कीम है। भारत सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत सहभागिता हेतु इच्छुक राज्यों को पहले ही विस्तृत विवरण दे दिया है और उनकी सहभागिता को सुकर बनाने हेतु 31.03.2017 तक समय-सीमा भी बढ़ाई है।

(ङ) : इस स्कीम में परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम ऋण का 75% सहभागी राज्य ग्रहण करता है। डिस्कॉम अपने शेष 25% ऋण को पूर्वनिर्णित अधिकतम ब्याज दर के नीचे पुनःमूल्यांकन ऋण/बॉण्ड में परिवर्तित करेगा। इससे ब्याज बोझ में काफी कमी होगी और डिस्कॉमों के घाटे में कमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य शृंखला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3905

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का सीएसआर

3905. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और कौशल विकास योजनाओं का परियोजना-वार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी की स्वीकृत और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उक्त अवधि के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और कौशल विकास के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजना-वार चालू तथा लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : कारपोरेट सामाजिक दायित्व (विकास) परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन तथा व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (विकास)	
	आवंटन (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)
2013-14	2356.39	1672.58
2014-15	1290.78	758.80
2015-16	1660.21	880.21
2016-17	1466.25	289.46 (अक्तूबर, 2016 तक)

इसके अतिरिक्त, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों पर, जिसमें कौशल विकास मुख्य घटक है, वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए क्रमशः 12.60 लाख रु., 42.16 लाख रु., 40.85 लाख रु. तथा 20.24 लाख रु. का व्यय किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 08.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3905 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष	पेयजल संसाधनों का विकास (हैंडपंप ट्यूब वेलस) (सं. में)				पहुँच सड़क/लिक रोड का निर्माण (मीटर में)				सामुदायिक भवनों का निर्माण/नवीकरण (स्कूल के कमरे/सामुदायिक केंद्र/प्रशिक्षण केंद्र/सामुदायिक शेड इत्यादि) सं. में)				पारिवारिक शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (सं. में)				सिंचाई संसाधनों का निर्माण/नवीकरण (सं. में)			
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्टूबर, 2016 तक)
फील्ड स्टेशन																				
मैथॉन	26	13	02	23	2500	900	-	905	8	2	01	05		42	93	80	3	-	-	02
पंचेट	23	5	06	04	9800	1100	1600	700	5	-	-	03	2	40	-	67	3	2	-	-
सीटीपीएस चंद्रपुरा	-	-	08	-	1100	-	-	06	5	-	-	-	8	42	16	-	4	-	-	-
बीटीपीएस बोकारो	-	22	-	14	2400	875	-	-	2	1	02	02	-	114	20	155	1	01	-	-
कोनार	7	1	30	15	3200	-	-	-	-	-	-	07	-	93	-	110	3	-	-	-
तिलैया	12	-	15	07	3500	-	-	-	-	-	-	07	-	94	-	84	2	-	-	-
केटीपीएस कोडरमा	171	100	42	71	3200	4085	-	1240	-	02	-	-	-	42	30	75	-	-	-	-
डीटीपीएस दुर्गापुर	-	-	-	20	340	-	-	350	5	-	03	06	-	-	20	-	-	-	-	-
डीएसटीपीएस अंदल	24	-	05	11	1500	1000	2600	1500	4	02	02	06	-	32	100	106	-	-	-	02
एमटीपीएस मेजिया	11	06	03	06	7400	8200	500	4000	2	--	04	02	-	250	-	161	3	-	-	-
आरटीपीएस रघुनाथपुर	6	-	08	03	4500	486	4500	2500	10	06	01	01	-	-	153	36	2	01	-	-
कुल	280	147	119	174	39440	16646	9200	11201	41	13	13	39	10	707	432	874	21	4	-	04

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शुरू की गई कौशल विकास गतिविधियां				
फील्ड स्टेशन	लाभार्थियों की संख्या			
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सीटीपीएस चंद्रपुरा	120*	120*	180*	136*
केटीपीएस कोडरमा	82**	71**	46**	11***

* डीवीसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीटीपीएस चंद्रपुरा चलाता है।

** सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाती है (डीवीसी द्वारा पूर्णतः प्रायोजित)।

*** डीवीसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दोमचंच, कोडरमा चलाता है (झारखंड सरकार के भवन में)।
